विषय सूची

प्रधानमंत्री को ज्ञापन............. 5
यूपीए का सरकार पर नियंत्रण नहीं 9

लेख

आजादी चाहने वालों को कैसा पैकेज
लालकृष्ण आडवाणी......... 11
अब शर्मसार तब गौरवान्वित
शांताकुमार....................... 13

संसद में बहस

डा. मुरली मनोहर जोशी...... 18
अरुण जेटली........................ 20
बाळ आपटे........................... 22

अन्य

भाजपा पूर्वोत्तर सम्पर्क प्रकोष्ठ. 15
म.प्र. विधायक प्रशिक्षण वर्ग..... 25
कर्नाटक : जनजागृति समावेश. 28
शिक्षा मंत्री–शिक्षाविद् बैठक. 29
आईटी प्रकोष्ठ बैठक............. 29
प्रकोष्ठों के नये संयोजक...... 30

सम्पादक
प्रभात झा, सांसद

सम्पादक मंडल
सत्यपाल
के. के. शर्मा
संजीव कुमार सिन्हा

पृष्ठ संयोजन
धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सम्पर्क
डा. मुकर्जी स्मृति न्यास
पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग
नई दिल्ली-110003
फोन नं. +91(11)-23381428
फैक्स : +91(11)-23387887
सदस्यता हेतु : +91(11)-23005700

सदस्यता शुल्क
वार्षिक 100रु. | त्रिवार्षिक 250रु.

e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

छात्र-युवाओं ने कांग्रेस को दिखाया आइना राहुल के 'जादू' का भ्रम टूटा

मीडिया में गढ़ा जा रहा एक मिथ टूट गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना निर्णय सुना दिया। 3 सितम्बर 2010 को हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चार में से अध्यक्ष सहित तीन ''सेन्ट्रल पैनल'' पदों पर विजयी हुई। एनएसयूआई को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, वह केवल संयुक्त सचिव के पद पर जीत पाई। ये परिणाम स्पष्ट संकेत देते हैं कि देश के युवाओं को अधिक समय तक धोखे में नहीं रखा जा सकता। युवा मतदाताओं पर राहुल गांधी के बहुप्रचारित 'जादू' का भ्रम टूट गया। यह प्रचार कि युवा अब कांग्रेस की ओर खिंचे चले आ रहे हैं अब आधारहीन एवं तथ्यहीन साबित हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के परिणाम यह दर्शाते हैं कि भारत के युवा स्वयं अपने दिमाग से सोचते हैं तथा देश को हाल के दिनों में बुरी तरह प्रभावित करने वाले ''असल मुद्दों'' पर अपना निर्णय देने में सक्षम हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के परिणाम अपने आप में अकेला उदाहरण नहीं है। यह राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ एवं हिमाचल प्रदेश छात्रसंघ चुनावों की श्रृंखला की एक कड़ी है। हर जगह कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को हार का मुंह देखना पड़ा है। बात केवल इतनी नहीं है कि एनएसयूआई की हार हुई है, बल्कि हार–जीत का अंतर भी काफी ज्यादा है। हर तरफ के परिणाम यह प्रमाणित कर रहे हैं कि देश के युवा कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के शासन में आम आदमी की दुरावस्था तथा देश के समक्ष उत्पन्न गंभीर संकटों के प्रति न केवल संवेदनशील है वरन् चिंतित भी हैं। यदि हम इन चुनाव परिणामों के साथ मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के स्थानीय निकायों के चुनावों के परिणामों को जोड़ दें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस शासन में जनता उपेक्षित और असहाय महसूस कर रही है और कोई भी मौका मिलने पर वह अपना रोष प्रकट करने से चूक नहीं रही।

कांग्रेस ने युवाओं को जोड़ने के लिए ''शार्ट–कट'' तरीके अपनाये। इन तरीकों के द्वारा ''कास्मेटिक'' किस्म के उपाय किये गये जिससे युवाओं और कांग्रेस के बीच की खाई और भी चौड़ी हुई है। राहुल गांधी को विभिन्न महाविद्यालयों में घुमाने–फिराने के अलावा कांग्रेस ने हास्यास्पद तरीके से युवाओं का 'साक्षात्कार' लेना शुरू कर दिया। इस तरह के हथकण्डे पार्टी में व्याप्त निकृष्टता को ही दर्शाते है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के पास युवाओं को आकर्षित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, इसके पास युवाओं को जोड़ने के लिए न तो कोई कार्यक्रम है न ही कोई विचारधारा अथवा नेतृत्व, जो युवाओं को प्रेरित कर इनकी शक्ति को दिशा दे सके।

कांग्रेस अपने अतीत से सीख लेने में विफल रही है। 'साक्षात्कार' के माध्यम से बहाली न केवल युवाओं का अपमान है बल्कि हाल के दिनों में लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा मजाक भी। इससे लगता है कि कांग्रेस युवाओं को समर्पित कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक 'पेशेवर' की भांति बहाल कर रही है ताकि उससे किसी भी तरह के कार्य मेहनताने के बदले कराया जा सके। अपने चरित्र

के अनुरूप कांग्रेस ने लिंग्दोह कमेटी की अनुशंसाओं को नजरअंदाज करते हुए छात्र संघ चुनावों में जीत के लिए अपनी सरकारों का दुरूपयोग करते हुए धन, बल तथा बाहुबल का प्रयोग किया। परन्तु इस बार इनके ये हथकण्डे चल नहीं पाये। छात्रों ने इसका करारा जवाब चुनावों में उसे खारिज करके दिया है। एनएसयूआई लगभग हर कैम्पस में हार चुकी है। इससे कांग्रेस के झूठे प्रचार तथा मीडिया की मदद से देश तथा युवाओं के ऊपर राहुल गांधी को थोपने के अभियान को गहरा धक्का लगा है।

एक पार्टी जो ''चमचा–संस्कृति'' तथा ''परिवारवाद'' का प्रतिनिधित्व करती हो वह लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी मानसिकता से ओत–प्रोत युवाओं को आकर्षित नहीं कर सकती। यदा–कदा जब राहुल गांधी पार्टी में व्याप्त 'चमचा–संस्कृति' से 'दुखी' नजर आते हैं तब भी इनके इस 'दर्द' में पार्टी की स्थिति को स्वीकार करना ही निहित होता है। लेकिन जब कांग्रेस के हर पोस्टर पर राहुल गांधी का चेहरा सोनिया गांधी के बाद तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पहले छापा जाता है तब राहुल गांधी का यह 'दर्द' कहीं दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी का 'चमचा–संस्कृति' पर 'नाराज' होना तथा पार्टी का आंतरिक लोकतांत्रिकीकरण का राग मात्र एक छलावा है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कवायद तथा 'वंशवाद' पर 'आपत्ति' भोले–भाले युवाओं को भरमाने भर के लिए एक दिखावा मात्र है। श्रीमती सोनिया गांधी का लगातार चौथी बार कांग्रेस अध्यक्ष बनना इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कांग्रेस लोकतंत्र की परिभाषा से अपरिचित है।

कांग्रेस को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि केवल 'नारों' से देश की समस्या नहीं दूर होने वाली है। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के द्वारा मूल्य नियंत्रण, भ्रष्टाचार एवं लूट को रोक पाने में असफल होने पर छात्र–युवाओं समेत देश की जनता ने एक कड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस की सबसे बड़ी असफलता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं लूट को रोक नहीं पा रही है। राष्ट्रमंडल खेलों में खुली लूट जनता की नजरों के सामने है। जनता के सामने खेलों के नाम पर खुलेआम लूट करने वालों को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व संरक्षण दे रहा है। राहुल गांधी के चापाकल पर नहाने अथवा किसी कार्यक्रम के दौरान पॉलिथीन का पैकेट उठाने का मीडिया द्वारा प्रचार अब अधिक दिनों जनता को मूर्ख नहीं बना पायेगा तथा जनता देश के असली मुद्दों पर वोट करने के लिए सामने आयेगी। देश की जनता अब कांग्रेस नीत संप्रग– II की जनविरोधी नीतियों के विरूद्ध खुलकर सामने आ रही है। ■

दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने लहराया परचम

विखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में प्रतिद्वंद्वी एनएसयूआई को जोरदार शिकस्त देते हुये छात्रसंघ के तीन पदों पर अपना परचम लहराया है। छात्र संघ के चार पदों में से तीन पर इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत दर्ज की है जिसमें अध्यक्ष का पद भी शामिल है। जितेंदर चौधरी ने अध्यक्ष पद पर और प्रिया डबास ने उपाध्यक्ष पर जीत दर्ज की है। जबकि नीतू डबास को सचिव पद पर जीत मिली है। वहीं इस बार केवल एक पद संयुक्त सचिव पर नेशनल स्टूडेंट यूनियन आफ इंडिया (एनएसयूआई) के उम्मीदवार अक्षय कुमार को जीत मिली है। जितेंदर चौधरी ने एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हरीश चौधरी (श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कालेज) को 1943 मतों के अंतर से पराजित किया।

एबीवीपी से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंदर चौधरी को कुल 9259 मत मिले। वहीं इस चुनाव में खड़ी भाकपा नेता डी राजा की बेटी अपराजिता को (एआईएसएफ) को केवल 2999 मत मिले। एनएसयूआई से उपाध्यक्ष पद के लिये खड़े एए वर्धन जहां केवल एक हजार पांच सौ अठारह मत मिले वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उम्मीदवार प्रिया डबास ने 8679 मत प्राप्त कर उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। सचिव पद पर एबीवीपी की नीतू डबास ने रिकार्ड मतों से (4495) से अपनी प्रतिद्वंद्वी दीपिका धारीवाल को पराजित किया। वहीं एनएसयूआई केवल एक पद पर सिमट कर रह गयी उसके संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार अक्षय कुमार काफी तगड़े संघर्ष के बाद जीत दर्ज कर पाये। कुमार ने यह पद मात्र 581 मतों के अंतर से जीता। ■

काश्मीर में भारत की प्रभुसत्ता कमजोर नहीं होने देंगे

सोमवार, 6 सितम्बर, 2010

प्रिय प्रधानमंत्री जी,

विगत तीन महीनों से जम्मू और काश्मीर राज्य में चल रही गम्भीर स्थिति को देखते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपसे आग्रह करने पर विवश होना पड़ा है। राज्य की स्थिति नियंत्रण से बाहर होता जा रही है। लगता है कि केन्द्र सरकार के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं है।

काश्मीर भारत के विभाजन से उत्पन्न स्थिति के कारण पाकिस्तान के लिए अधूरा एजेण्डा बना हुआ है। पाकिस्तान कभी भी काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने पर सहमत नहीं हुआ है। पाकिस्तान की चाल रही है कि इस विवाद का अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, सीमा–पार आतंकवाद के माध्यम से अंदरूनी विद्रोह फैलाया जाए और जनसमूह की हिंसा भड़का कर राज्य में अस्थिरता पैदा की जाए। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारत द्वारा 63 वर्ष पहले की गई ऐतिहासिक गलतियों ने इस समस्या को और भी जटिल बना दिया है। समय आ गया है कि हम पीछे मुड़कर देखें और समीक्षा करें कि क्या 63 वर्ष पहले की नीतियों ने जम्मू और काश्मीर राज्य को भारत का अंतरंग भाग बनाने में सहायता की है या फिर इससे और अधिक समस्याएं बढ़ी हैं। पृथक और विशेष स्थिति का दर्जा दिए जाने से, चाहे वह क्षणिक या अस्थायी क्यों न हो, भारत के राज्य के रूप में अभिन्न अंग बनाने में मनोवैज्ञानिक रूप से बाधा खड़ी करता है और इसे पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप में अभिन्न अंग नहीं बनने देता है। इससे अलगाववादियों की आशाएं और बढ़ जाती हैं जिससे भारत और जम्मू तथा काश्मीर के बीच राजनैतिक और संवैधानिक सम्बंध और भी कमजोर हो जाएंगे। 1953 से पूर्व की स्थिति वाली स्वायत्तता और राज्य की कुछ राजनैतिक पार्टियों से उभरी स्व–शासन की मांग से यह मनोधारणा और बवलती हो जाती है। कुछ समाचार पत्रों और सरकार के कुछ अधिकारियों के वक्तव्यों से हमें ज्ञात हुआ है कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए कतिपय आशय रखकर घोषणाएं हो रही हैं।

जब सरकार अपनी राजनैतिक स्थिति तैयार कर रही है तब उसे इस प्रश्न पर सोचना बहुत आवश्यक है कि क्या विगत 63 वर्षों की नीति से ऐसी स्थिति तो नहीं बन गई है जो पृथक दर्जे से पृथकतावाद की तरफ बढ़ रही है? कोई भी कदम उठाया जाए, उसे इस कसौटी पर समझा जाए कि क्या ये उपाय राज्य को भारत का अभिन्न बनाते है या राज्य को भारत के साथ राजनैतिक और संवैधानिक सम्बंधों को और अधिक कमजोर कर देंगे? राज्य की समस्याएं सीमापार आतंकवाद, आंतरिक विद्रोह, आर्थिक विकास के अभाव और उप–क्षेत्रीय भेदभाव से उत्पन्न होती है। क्या इनमें से किसी भी समस्या या प्रस्तावित समाधान का सम्बंध राज्य की विधायी और एक्जीक्यूटिव शक्ति की कमी के कारण है या नहीं। आज केन्द्र सरकार की शक्तियां सुरक्षा, भारत की रक्षा, मुद्रा, विदेशी मामले और दूर–संचार तक सीमित हैं। क्या हम इनमें से किसी का भी परित्याग कर सकते हैं? जैसा कि कुछ लोगों ने मांग की है, क्या हम सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के अधिकारक्षेत्र को राज्य से हटाने के सुझाव को मान कर फिर पिछली स्थिति में पहुंचा सकते हैं? हमें स्वयं को गुमराह नहीं करना चाहिए। काश्मीर घाटी की वर्तमान समस्या का स्वायत्तता, स्व–शासन या केन्द्र सरकार के अधिकारों में कमी करने से जरा भी सम्बंध नहीं है। स्वायत्तता और स्व–शासन मात्र आजादी की तरफ बढ़ने की दिशा में अंतरिम उपाय है। भारत के लोग कभी भी इनमें से किसी को स्वीकार नहीं करेंगे।

यदि आप वर्तमान मांगों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि यह सभी भारत की प्रभुसत्ता को कमजोर बनाने की मंशा से की गई हैं। घाटी में सेना की उपस्थिति में कमी, आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट के प्रावधानों में कमी, नियंत्रण रेखा में कमी और घुसपैठ को वैध करने की अनुमति ये सब कुछ इसी प्रकार के उदाहरण है।

राज्य में सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। सुरक्षा स्थिति मजबूत होने पर ही राज्य के कारगर ढंग से आर्थिक विकास संभव है। मुख्यधारा की राजनैतिक प्रक्रिया भारत की प्रभुसत्ता को कमजोर करके बहाल नहीं की जा सकती है, बल्कि 'आजादी' के प्रति अलगाववादियों को समझ लेना चाहिए कि दूर–दूर तक भी उनका यह सपना साकार होने वाला नहीं है, इसे कभी भी साकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, जम्मू, लेह और लद्दाख के साथ भेदभाव को भी प्रभावी ढंग से दूर करना होगा।

जम्मू और काश्मीर ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। हमें आशा है कि आप भारत की प्रभुसत्ता को कमजोर करने की बजाय मजबूती प्रदान करेंगे।

(लालकृष्ण आडवाणी) (सुषमा स्वराज) (अरुण जेटली) (एस.एस. अहलूवालिया)

कांग्रेस बताए

एण्डरसन को भारत से भगाने में क्या सौदेबाजी हुई थी : नितिन गडकरी

Hkkपाल गैस त्रासदी के 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी पीड़ितों को न तो न्याय मिला है और न ही राहत। गत सात जून, 2010 को आए न्यायालय के निर्णय ने भी घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। विडम्बना यह है कि इस नरसंहार के दोषी या तो विदेशों में कानून की पकड़ से बाहर हैं या देश के भीतर भी खुलेआम घूम रहे हैं। इन दोषियों को राजनीतिक संरक्षण देने वालों का बाल भी बांका नहीं हुआ हैं। नतीजा यह है कि 26 वर्ष पहले भोपाल में लगे घाव अभी भी रिस रहे हैं।

भोपाल गैस त्रासदी और तत्पश्चात् के घटनाक्रम के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा एक–दूसरे के पाले में गेंद फेंकने से एक असंवेदनशील प्रशासन और उत्तरदायित्वविहिन राजनीतिक नेतृत्व का चेहरा सामने आता है। इसी संस्कृति को कांग्रेसी सरकारों ने पूरी तरह से पाला–पोसा है, जिसका परिणाम पूरे देश को, विशेष रूप से भोपाल को भुगतना पड़ा है। 26 वर्ष, 20 हजार से अधिक मौतें और पांच लाख से ज्यादा लोगों के इस त्रासदी का शिकार होने के बावजूद आज तक किसी की जवाबदेही तय न हो पाना – भोपाल के गैस पीड़ितों को न्याय और राहत मिलने में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।

कांग्रेसी सरकारों और नेतृत्व को यह बताना ही पड़ेगा कि हत्यारी यूनियन कार्बाइड के सी.ई.ओ. वारेन एण्डरसन को भारत से भगाने में क्या सौदेबाजी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा 26 अगस्त 2010को भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में जारी वक्तव्य

हुई? और किसने की? राज्यसभा में इस पर हुई बहस में श्री अर्जुन सिंह से उम्मीद थी कि वे अभी तक अनुत्तरित सवालों का जवाब देंगे और रहस्यों पर से ही पर्दा उठाएंगे! मगर उन्होंने लोगों के विश्वास से एक बार फिर छल किया। पहला छल उन्होंने त्रासदी के समय मुख्यमंत्री रहते किया तो अब असली दोषियों के चेहरे से नकाब न उठाकर किया! उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं या राजनीति में हाशिये पर पहुंचकर भी कुछ पाने की लालसा उनको पूरा सच सामने लाने से रोक रही हो। मगर उनको मध्यप्रदेश, विशेषकर भोपाल के उन लोगों के प्रति अपना कुछ दायित्व निभाना चाहिए था जिन्होंने उन्हें एक मुख्यमंत्री और एक केन्द्रीय मंत्री बनाने में सहयोग किया। क्या कांग्रेसी नेताओं की अंतरात्मा को झकझोरने के लिए बीस हजार से ज्यादा लोगों की मौत तथा पांच लाख से अधिक शिकार हुए लोगों की कीमत कम है? सत्य को दबाकर कांग्रेस इतिहास नहीं बदल सकती। भोपाल पर एक 'श्वेत पत्र' जारी करने की जरूरत है जो वर्तमान पीढ़ी को सच बता सके!

कांग्रेसी नेतृत्व भोपाल गैस त्रासदी से हुए नरसंहार के पाप से बच नहीं सकता। अपने दोषों को छिपाने के उद्देश्य से कांग्रेसी सरकार यूनियन कार्बाइड के सी.ई.ओ. वारेन एण्डरसन को वापस भारत लाने की घोषणा कर रही है। हम ऐसे किसी भी प्रयास में सरकार को पूरा सहयोग करेंगे मगर क्या वर्तमान केन्द्र सरकार अमेरिका से यह कहने का साहस कर पाएगी? प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अपनी पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने यह मुद्दा नहीं उठा पाये! अब फिर से मौका आ रहा है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रस्तावित भारत यात्रा के समय दृढ़ता से यह मुद्दा उठायें और वे भोपाल के दोषियों को भारत को सौंपने में सहयोग करें।

दोषियों को दण्ड और पीड़ितों को न्याय व राहत–किसी भी सरकार की नीति का आधार होना चाहिए। अतीत की तरह केन्द्र की वर्तमान कांग्रेसी सरकार इस कसौटी पर असफल सिद्ध

हुई है। कांग्रेस सरकारों की इस सम्बन्ध में लचर और संदेहास्पद भूमिका के चलते देशवासियों को यह भरोसा नहीं है कि वर्तमान सरकार इस सम्बन्ध में सही काम कर पाएगी। अतः मेरी मांग है कि इस प्रकरण की निगरानी और समीक्षा नियमित एवं सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। साथ ही भोपाल के गैस पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं राहत दिलाने के उद्देश्य से सारे केसों को एक विशेष अदालत गठित करके तुरंत निपटाया जाए।

केन्द्र सरकार की बाधाओं के बावजूद मध्यप्रदेश की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग तथा गैस पीड़ितों के पुनर्वास और चिकित्सा सम्बन्धी प्रयास प्रशंसनीय हैं। भाजपा सरकार तथा प्रदेश में भाजपा के विधायकों तथा सांसदों ने केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में धरना–प्रदर्शन भी किए हैं। भाजपा संगठन और सरकार के प्रयास तब तक जारी रहेंगे जब तक एक–एक गैस पीड़ित का पुनर्वास, चिकित्सा और राहत नहीं मिल पाती।

भोपाल अतीत का एक दुखदायी अध्याय है, परन्तु यह वर्तमान और भविष्य के लिए चेतावनी भी है। इसलिए भोपाल गैस त्रासदी और उसके पश्चात् की स्थिति से निपटने में हमारे प्रयास आपदा प्रबंधन के सर्वोत्तम मॉडल बनना चाहिए।

मैं सरकारों, सभी राजनीतिक दलों, सभी स्वैच्छिक संगठनों तथा संस्थाओं से अपील करता हूं कि वे भोपाल त्रासदी की चुनौती को एक ऐसे अवसर में बदलने में सहयोग करें जो हमारे राष्ट्रीय संकल्प और जिजीविषा का प्रकटीकरण हो कि आपदा जैसी भी हो, हम उससे बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। ■

प्रत्येक जिले में खुलेगा नारी शक्ति केन्द्र : स्मृति ईरानी

भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों की पहली बैठक 30 जून को नई दिल्ली में आयोजित हुई। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती स्मृति ईरानी ने भाजपा में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा। उनके कार्यक्रमों का एक विशेष प्रस्ताव महिला मोर्चा द्वारा हर जिले में नारी शक्ति केन्द्रों की स्थापना करना था। उन्होंने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति केन्द्र को हर राज्य के हर जिले में खोलने से यह महिलाओं का एक ऐसा मंच बन जाएगा जो महिलाओं तक पहुंच कर उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून और व्यवस्था एवं रोजगार की समस्याओं का हल करने में मददगार साबित होगा। श्रीमती ईरानी ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए देश के हर राज्य का दौरा करूंगी। बैठक ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक 29 और 30 सितम्बर को मुम्बई, महाराष्ट्र में होगी। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, भाजपा महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, भाजपा मोर्चा और प्रकोष्ठों के समन्वयक कोर्डिनेटर श्री महेन्द्र पाण्डे, महिला मोर्चा प्रभारी श्रीमती करूणा शुक्ला और सह–प्रभारी श्रीमती किरण घई भी बैठक में उपस्थित थीं। ■

बिहार विधानसभा चुनाव 21 अक्तूबर से 20 नवम्बर तक

चुनाव आयोग ने 6 सितम्बर को बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बिहार विधानसभा के चुनाव 21 अक्तूबर से 20 नवंबर तक छह चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 24 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण में 21 अक्तूबर को 47 सीटों के लिए, 24 अक्तूबर को दूसरे चरण में 45 सीटों के लिए, 28 अक्तूबर को तीसरे चरण में 48 सीटों के लिए, एक नवंबर को चौथे चरण में 42 सीटों के लिए, 9 नवंबर को पांचवें चरण में 35 सीटों के लिए और 20 नवंबर को आखिरी चरण में 26 सीटों के लिए मतदान होगा। आयोग की इस घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में माओवादी और नक्सली हिंसा के चलते आयोग ने सुरक्षा प्रबंधों की दृष्टि से छह चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। राज्य की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म हो रहा है।■

भाजपा ने सरकारी गोदामों में सड़ रहे अनाज की प्रदर्शनी लगाई

गरीबी रेखा के नीचे की आयसीमा बढ़ाकर एक लाख रुपया वार्षिक करे सरकार : नितिन गडकरी

Hkkजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि वह देश के गरीबों की दुर्दशा को देखते हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की वार्षिक आय सीमा 20 हजार रूपए वार्षिक से बढ़ाकर एक लाख रूपए वार्षिक करे ताकि आजादी के 63 साल बाद भी देश में कोई भूखा न सोये। उन्होंने आज के सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों में मुफ्त अनाज बांटने के आदेश यूपीए सरकार को दिये थे न कि सलाह।

वह 31 अगस्त को नई दिल्ली में भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा गरीब भूखा सोता है और सरकारी गोदामों में अनाज सड़ता है विषय पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। प्रदर्शनी में देश के विभिन्न प्रदेशों के सरकारी गोदामों से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लाया हुआ सड़ा–गला गेहूँ, चावल, धान और अन्य खाद्य पदार्थों को दर्शाया गया था। इस जीवंत प्रदर्शनी में रखा गया अन्न बुरी तरह सड़ा हुआ था। उसकी दुर्गंध भी दर्शकों को सहन नहीं हो रही थी। यही अनाज सरकार गरीबों में वितरित करती है।

उन्होंने यूपीए सरकार को पूर्ण नाकारा और संवेदनहीन बताते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी यह अक्षम सरकार गरीबों में अनाज का निःशुल्क वितरण नहीं कर रही है। इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है। कांग्रेस अपने को गरीबों और आम आदमी की हितैषी पार्टी बताती है और खून भी उन्हीं का चूसती है। ज्ञात हो कि आज ही सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को सख्ती से कहा कि अपने खाद्य मंत्री को बता दो कि हमने गरीबों में अनाज मुफ्त बांटने का आदेश दिया था। इस आदेश को सलाह मानने की गलती खाद्य मंत्री न करें।

प्रदर्शनी के दौरान सड़े गेहूं का अवलोकन करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता

श्री गडकरी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्त्ताओं का आह्वान किया कि वे देश के 40 करोड़ गरीब लोगों के विकास और उनके सम्पूर्ण उत्थान के लिए कार्य करें। कांग्रेस ने पिछले छह दशकों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, गरीबों को सिर्फ धोखा दिया है। गरीबी की रेखा के नीचे यही लोग जीवन जीते हैं। इनके वोट कांग्रेस हथियाती रही और इन्हें सिर्फ नारे और दिवास्वप्नों में उलझाये रखा। इस बारे में गरीबों का मन बदलने और उनके पुनर्जागरण का कार्य भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में लेना है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब एक किलो चावल गोदाम में सड़ता है तो उसके पीछे 3000 लीटर पानी भी बरबाद होता है क्योंकि एक किलो अनाज के उत्पादन में 3000 लीटर पानी खर्च होता है। पानी की किल्लत आज सारे विश्व में है। भारत में तो प्रदूषित जल पीने के कारण प्रति वर्ष लगभग 3 लाख लोग दम तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा यूपीए सरकार को विवश करेगी कि वह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के बीच अनाज का निःशुल्क और पारदर्शी वितरण करे।

कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल, जे पी नड्ढा, मंत्री आरती मेहरा, किरीट सोमैया, वाणी त्रिपाठी, पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, प्रदेश पदाधिकारियों में पवन शर्मा, विशाखा शैलानी, रमेश बिधूड़ी, आर पी सिंह, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद आदि सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ■

यूपीए नेताओं का सरकार पर नियंत्रण नहीं : भाजपा

गत 01 सितम्बर, 2010 को नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) श्रीमती सुषमा स्वराज और नेता प्रतिपक्ष (राज्यसभा) श्री अरुण जेटली द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य का पूरा पाठ

संसद का मानसून सत्र कल समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी संसद के दोनों सदनों में अपने प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करती है। सत्र के दौरान भाजपा का प्रदर्शन आवश्यकता पड़ने पर प्रतिपक्ष का सामूहिक प्रतिनिधित्वपूर्ण रहा और स्थिति की मांग के अनुसार सहयोगपूर्ण भी रहा। सत्र के दौरान कई बार संप्रग सरकार की किरकिरी हुई। प्रधानमंत्री ने सिवाय The Civil Liability for Nuclear Damages Bill पर संक्षिप्त हस्तक्षेप के, सत्र में सक्रिय भागीदारी न करने का निर्णय किया। अलग–अलग मंत्रियों ने केवल अपने प्रस्तावों और विधानों से ही सरोकार रखा। संप्रग में Floor Coordination का अभाव रहा। सरकार ने सदन के विभिन्न वर्गों को विरोधी बनाया, जिसके कारण सरकार द्वारा प्रस्तावित अनेक उपायों के विरूद्ध मजबूत ध्रुवीकरण हो गया। भाजपा ने मूल्यवृद्धि तथा अर्थव्यवस्था पर मूल्यवृद्धि के दबावों को नियंत्रित करने में संप्रग की अयोग्यता का मुद्दा प्रभावी रूप से उठाया। मतदान से बचने के लिए सरकार को Chair-sponsored special statement जारी कराना पड़ा। संसद के दोनों सदनों में मूल्यवृद्धि पर भाजपा द्वारा बल दिया जाना संप्रग सरकार द्वारा मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण न किए जाने के विरूद्ध इसके राष्ट्रीय अभियान को जारी रखा जाना था। समूचे प्रतिपक्ष द्वारा उठाया गया भोपाल गैस त्रासदी का एक प्रभावी मुद्दा था। श्री अर्जुन सिंह के हस्तक्षेप ने सत्य की खोज को विचित्र से विचित्रतर बना दिया। संसद के दोनों सदनों में जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति पर कई तरीकों से चर्चा की गई।

संसद के सत्र से स्पष्ट हुआ कि सरकार की कार्य प्रणाली में भटकाव है। प्रभावी रूप से शासन चलाने और अनेक संकटों पर काबू पाने में प्रधानमंत्री की समर्थता पर बार–बार चोट हुई।

भाजपा ने सरकार द्वारा सीबीआई के दुरूपयोग – विशेषकर गुजरात के संदर्भ में दुरूपयोग – के मुद्दे को खूब उछाला। संसद में भाजपा ने केन्द्रीय गृहमंत्री के उस बयान की कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने "Saffron Terror" की नई शब्दावली का प्रयोग किया था। भाजपा ने कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन और अ.जा./अ.ज.जा. हेतु फंड को खेलों के लिए खर्च करने के बारे में हुए भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। सरकार को यह स्वीकार करने के लिए विवश किया गया कि इस फंड को दिल्ली सरकार द्वारा खेलों पर खर्च किया जाना गलत था। भाजपा ने मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी तथा एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा माओवादियों के बचाव के मुद्दों को भी अच्छी तरह उद्घाटित किया।

सरकार को उस समय बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा जब वह अनेक विधानों यथा NDMC (Amendment) Bill - 2009, The Prevention of Torture Bill - 2009, The Enemy Property Bill (Amendment and Validation) Bill-2010, The Education Tribunal Bill-2010 के लिए संसद का समर्थन नहीं जुटा सकी। उपर्युक्त विधानों से उलट सरकार ने The Civil Liability for Nuclear Damage Bill- 2010 के बारे में भाजपा तथा अन्य दलों का साथ जुटाने के लिए अलग रवैया अपनाया। भाजपा को इस तथ्य पर संतोष है कि उक्त विधेयक – जैसाकि शुरू में पेश किया गया था – में इस कारण ठोस परिवर्तन करने पड़े कि उसमें भाजपा तथा कुछ अन्य प्रतिपक्षी दलों द्वारा तद्नुसार सुझाव दिए गए थे। इस विधेयक को 'Suppliers' immunity Law' में बदलने के सरकार के बार–बार किए गए प्रयासों को बेनकाब किया गया तथा

सरकार को उन्हें उलटना पड़ा। भाजपा ने संप्रग के साथ अपनी भिन्नता बनाए रखी और इस विधेयक को तभी समर्थन देने का निर्णय किया जब इसको उसकी संतुष्टि के अनुसार बदल दिया गया।

संसद के सत्र से स्पष्ट हुआ कि सरकार की कार्य प्रणाली में भटकाव है। प्रभावी रूप से शासन चलाने और अनेक संकटों पर काबू पाने में प्रधानमंत्री की समर्थता पर बार–बार चोट हुई। अब गृहमंत्री अपनी माओवादी–विरोधी नीति पर नहीं चल रहे हैं। वित्त मंत्री भी माओवादियों के प्रति सुश्री ममता बनर्जी के नरम रवैये को अपनाते हुए प्रतीत हुए। सरकार जम्मू–कश्मीर में कट्टरवादियों की तुष्टि करने से पहले संसद के सत्र की समाप्ति की प्रतीक्षा करती हुई प्रतीत हुई। भाजपा सोचती है कि Armed Forces Special Powers Act के प्रावधानों को हल्का किए जाने का प्रस्ताव है और साथ ही कुछ अन्य ऐसे कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है, जो भारत के राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होंगे। सरकार मुद्रास्फीति पर काबू पाने में असमर्थ रही। इसके अलावा सीबीआई का दुरूपयोग किया जाना जारी है। सरकार ने जिस तरीके से Enemy Property (Amendment and Validation) Ordinance 2010 के उपबंधों को प्रख्यापन के तीन सप्ताहों के अंदर ही उलट दिया तथा हल्का कर दिया, इससे प्रकट होता है कि वह केवल एकल लाभार्थी की सहायता करने के लिए सांप्रदायिक दबाव में भी कार्य कर सकती है। संप्रग द्वारा वोट बैंक राजनीति पर अमल करने का यह एक क्लॉसिकल मामला है। सरकार पूरे सत्र के दौरान थरथराती रही। सरकार की पेटी से कंकाल और मतभेद बाहर आते रहे। भाजपा इन मुद्दों को लोगों के सामने आगे भी उठाती रहेगी। ■

कश्मीर में सिखों की रक्षा को लेकर सैंकड़ों सिखों का धरना

Hkkजपा दिल्ली प्रदेश सिख प्रकोष्ठ के कई सौ आक्रोशित सिखों ने कश्मीर में सिखों पर हो रहे जुल्म और उन्हें घाटी खाली करने की मिल रहीं धमकियों के खिलाफ 25 अगस्त को नई दिल्ली स्थित जम्मू–कश्मीर हाउस पर धरना दिया और कश्मीर तथा केन्द्र की यूपीए सरकार के खिलाफ नारे लगाये। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार कश्मीर की समस्या पर आंख मूंदे पड़ी है।

सिख समुदाय का इतिहास जुल्मों से टकराने का इतिहास रहा है। यह समुदाय जान दे सकता है लेकिन अपने सम्मान से समझौता कभी नहीं कर सकता।

इसके भयानक दुष्परिणाम सारे देश को भुगतने पड़ेंगे। यदि तुरन्त कार्रवाई करके कश्मीर के सिखों का जीवन सुरक्षित नहीं किया गया तो सारे देश में आग लग जायेगी। सिख समुदाय का इतिहास जुल्मों से टकराने का इतिहास रहा है। यह समुदाय जान दे सकता है लेकिन अपने सम्मान से समझौता कभी नहीं कर सकता।

श्री गुप्ता ने कश्मीर से जुड़े सिख बहादुरी के इतिहास का वर्णन करते हुये बताया कि कश्मीर के उड़ी में सिखों के छठवें गुरू हरगोविन्द साहब का गुरूद्वारा स्थित है। कश्मीर को जब अफगानिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था तब महाराजा रणजीत सिंह ने ही कश्मीर को अफगानिस्तान के कब्जे से दोबारा वापस कर भारत में मिलाया था। महाराजा ने ही कश्मीर में गोकशी पर प्रतिबंध लगाया था। हरी सिंह नलवा ने भी अपनी बहादुरी का परिचय देते हुये अफगानिस्तान में जमरूद के किले पर झंडा फहराया था। आज उसी बहादुर सिख कौम को कश्मीर घाटी से भगाने का षड़यंत्र पाकिस्तान, आईएसआई, अलगाववादी संगठन इस कारण कर रहे हैं कि केन्द्र में एक मजबूर, कमजोर और नाकारा सरकार है। शर्म की बात है कि एक सिख भारत का प्रधानमंत्री है और कश्मीर में सिखों के बाल काट कर उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है।

सिख प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह मनचंदा ने कहा कि केन्द्र सरकार कश्मीर को प्रश्रय देने वाली और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली संविधान की धारा 370 को तुरन्त समाप्त करे और कश्मीर में सिख रेजीमेन्ट तुरन्त भेजे ताकि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाये रखा जा सके और सिखों के धर्म और सम्मान की रक्षा की जा सके।

धरने पर बैठे सिखों ने कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नाम प्रेषित एक ज्ञापन भी जम्मू एवं कश्मीर हाउस के प्रमुख को दिया। इसमें मांग की गई है कि सिखों के सम्मान और जानमाल की रक्षा की जाये। उन्हें आत्मरक्षार्थ हथियार उपलब्ध कराये जायें। सिखों के गुरूद्वारों की रक्षा की जाये। धरने में प्रदेश महामंत्री सरदार आर पी सिंह, सिख प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरदेव सिंह परदेशी, उपाध्यक्षगण बबेक सिंह माटा, भाग सिंह, अमरीक सिंह चौहान, महामंत्री उजागर सिंह, मंत्री कुलविन्दर सिंह बंटी, कंवलजीत सिंह, प्रेम सिंह शेर उर्फ बी.एल. शर्मा, निहंग प्रमुख

आजादी चाहने वालों के लिए कैसा पैकेज?

✍ yky Ñ".k vkMok.kh

पिछले सप्ताह मैंने डिफेंस सर्विसेज वेटरन्स की संगोष्ठी में भाग लिया। इसमें भाग लेने वाले इस पर व्यथित थे कि 1947 से, जब पाकिस्तान ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर पहला हमला किया था तब से सेना ने भारत के इस अविभाज्य अंग की रक्षा के लिए अधिकतम बलिदान दिए, इसके बावजूद इन दिनों जम्मू एवं कश्मीर के बारे में ने केवल पृथकतावादियों अपितु सरकार के नेताओं द्वारा दिए जाने वाले बयानों में सुरक्षा बलों की जमकर निंदा की जाती है।

जनरल एस. के. सिन्हा ने इस संगोष्ठी में मुख्य भाषण दिया। उन्होंने शुरुआत ऐसे कीः ''कश्मीर पिछले 63 वर्षों से नासूर समस्या बनी हुई है। हम केवल यह दावा करते हैं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और समाधान वार्ता के माध्यम से होगा। एक राष्ट्र के रुप में हम पानीपत सिनड्रोम से पीड़ित हैं जिसमें रणनीतिक दूरदृष्टि का अभाव, संकटों का सामना न करने की तैयारी और अतीत से सबक न सीखना प्रमुख है।''

उन्होंने आगे कहाः 'कश्मीर पर हम एक के बाद एक भूलें और बार–बार स्वयं ही गोल कर रहे हैं।'

जनरल सिन्हा को यह अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है कि राज्य में सन् 1947 में वह, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में भेजे गए कबाइलियों को मार भगाने के लिए सफदरजंग हवाई अड्डे से नई दिल्ली से कश्मीर भेजे जाने वाले जवानों के युवा मेजर थे, से लेकर 2008 तक उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के रुप में अमरनाथ विवाद को सुलझाया– और अनेकों भूलों के प्रत्यक्षदर्शी रहे।

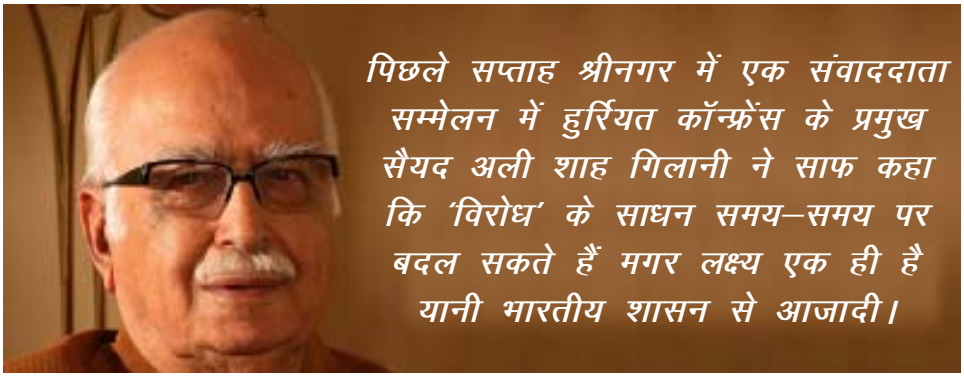

पिछले सप्ताह श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी ने साफ कहा कि 'विरोध' के साधन समय–समय पर बदल सकते हैं मगर लक्ष्य एक ही है यानी भारतीय शासन से आजादी।

1. शत्रु श्रीनगर के निकट आता जा रहा था। महाराजा हरि सिंह जम्मू भाग गए और भारतीय सहायता पाने की कोशिशों में लगे। उन्होंने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए लेकिन पत्रों के आदान प्रदान में, कश्मीर को विशेष स्थिति दी गई जोकि भारत या पाकिस्तान में किसी रियासत को नहीं मिली थी।
2. इसलिए, हमने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की मुख्य भूल की।
3. 14 नवम्बर, 1947 को जब सेना शत्रुओं को खदेड़ रही थी और उरी पहुंच चुकी थी लेकिन उसे मुजफ्फराबाद बढ़ने से रोक कर पुंछ की ओर भेज दिया गया।
4. हमने अपना ग्रीष्मकालीन हमला 22 मई 1948 को किया और 1 जून, 1948 तक हमने तिथबाल को मुक्त करा लिया। हम मुजफ्फराबाद के काफी निकट पहुंच गए। यूएन द्वारा भारत और पाकिस्तान से हमले रोकने की अपील के चलते ऑपरेशन रोक दिया गया।
5. दिसम्बर, 1948 में लद्दाख और पुंछ में हमारी शानदार विजय के बाद हम पाक अधिकृत कश्मीर को आजाद कराने की पूरी तैयारी में थे कि हम युद्ध विराम के लिए राजी हो गए।
6. 1965 के युद्ध में हमने भारी कीमत चुकाकर जीते, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हाजीपीर दर्रे को ताशकंद में पाकिस्तान को थाल में सजाकर सौंप दिया।
7. 1972 में शिमला में हमें चालाकी से मात दे दी गई और हमने कश्मीर समस्या का समाधान किए बगैर अपनी जीत को लुटा दिया।
8. हमारी संसद ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर दोहराया है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का क्षेत्र भारत का अविभाज्य अंग है। अपने इस अधिकार को जताने के लिए हमने कुछ नहीं किया। यहां तक कि गिलगिट–बाल्टीस्तान में व्यापक असंतोष है, तब भी हमने इन कानूनन भारतीय नागरिकों के साथ

अपनी सहानुभूति तक भी व्यक्त नहीं की।

9. हम श्रीनगर–मुजफ्फराबाद मार्ग खोलने पर राजी हो गए लेकिन कारगिल–स्कूर्दू को खुलवा नहीं पाए।
10. प्रेस की आजादी के नाम पर हमने घाटी की प्रेस को लगातार भारत–विरोधी मिथ्या प्रचार करने की अनुमति दे रखी है। देशद्रोह का कानून कश्मीर में लागू नहीं दिखता।

जनरल सिन्हा के मुताबिक हमारी भूलों की सूची अंतहीन है।

राज्य से बाहर के अनेक लोगों को राज्य की विविध जनसांख्यिकी का पता नहीं है। सामान्यतया जिन कश्मीरी मुस्लिमों से पृथकतावादी भावनाएं और पृथकतावादी हिंसा जोड़कर देखी जाती है, राज्य में वे अल्पसंख्यक हैं। हिन्दू, सिख, बौद्ध और गैर कश्मीरी मुस्लिम जैसे गुर्जर, बकरवाल और कारगिल शिया करीब राज्य की जनसंख्या का 60 प्रतिशत हैं। वे भारत विरोधी भावनाओं के साथ नहीं हैं।

ज्यादा आश्चर्य नहीं है कि कुछ वर्ष पूर्व, पाकिस्तान समर्थक एक चिरपरिचित अंग्रेज लार्ड एवेब्युरी द्वारा कराए गए जनमत सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि मात्र 6 प्रतिशत कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, 61 प्रतिशत भारत के साथ ही रहने के पक्षधर हैं तथा 33 प्रतिशत अनिर्णय की स्थिति में है।

मई, 2010 में किंग कॉलेज ऑफ लण्दन यूनिवर्सिटी में लीबिया के कर्नल गद्दाफी के पुत्र द्वारा कश्मीर में कराए गए ऐसे सर्वेक्षण के मुताबिक मात्र 2 प्रतिशत कश्मीर के लोग ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं।

पिछले पखवाड़े, संसद के मानसून सत्र के दौरान लोक सभा में जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति पर पूरे दिन बहस हुई। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में उल्लेख किया था कि इस बहस में डा. मुरली मनोहर जोशी ने उल्लेखनीय योगदान दिया। गृहमत्री पी. चिदम्बरम अगले दिन इसका जवाब देने वाले थेः लेकिन दिनों के बाद दिन बीत जाने के बाद भी सदन की कार्यसूची में इस अधूरी बहस का कोई उल्लेख नहीं आया। जब कि अफवाहें गर्म रहीं कि राजनीतिक समाधान की आड़ में कुछ रियायतों का पैकेज दिए जाने की तैयारी चल रही है। सत्र के अंतिम दिन डा0 जोशी ने यह मुद्दा उठाया कि क्यों गृहमंत्री इस महत्वपूर्ण बहस का जबाब देने से कतरा रहे हैं।

इस मुद्दे पर मचे हंगामे पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि वे, गृहमंत्री से जोकि दूसरे सदन में हैं, से पता करेंगे कि क्या वे इस सदन में आ सकते हैं, लेकिन गृहमंत्री नहीं आए, तथा सदन शाम को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सरकार द्वारा संसद को यह बताये बगैर कि उसने आजादी चाहने वालों के लिए किस किस्म का पैकेज तैयार किया है।

पिछले सप्ताह श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी ने साफ कहा कि 'विरोध' के साधन समय–समय पर बदल सकते हैं मगर लक्ष्य एक ही है यानी भारतीय शासन से आजादी।

गिलानी ने घाटी में फैली अराजकता को जन्म देने वाले वर्तमान आंदोलन पर पांच न्यूनतम पूर्व शर्तों पर ही पुनर्विचार करने की बात की ।

1. भारत को यह स्वीकार करना चाहिए कि जम्मू एवं कश्मीर एक विवादास्पद क्षेत्र है।
2. विसैन्यीकरण शुरु करेंय आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट रद्द करें।
3. प्रधानमंत्री गारण्टी दें कि अब कोई पुलिस फायरिंग नहीं होगी और न ही गिरफ्तारी।
4. संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी है सहित सभी 'राजनीतिक' बंदियों को अवश्य रिहा किया जाए।
5. पृथकतावादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सुरक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों को दण्डित किया जाए।

कश्मीर में पृथकतावादियों का नेतृत्व हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन इन दिनों उग्र पत्थरबाजी वाले आंदोलन को हुर्रियत के बजाय पी0डी0पी से ज्यादा शक्ति मिल रही हैं। और जहां तक हुर्रियत के प्रमुख का सवाल है, उनके अतीत के बारे में यह तथ्य बताते हैं कि वे किस किस्म के व्यक्ति हैं।

सन् 2002 में सैयद अली शाह गिलानी रांची जेल में गंभीर रुप से बीमार हो गये थे। सरकारी विमान से उन्हें उपचार के लिए मुंबई भेजा गया। वहां पर एक डॉक्टर जो संयोग से कश्मीरी पंडित थे– डा. समीर कौल ने उनकी कठिन सर्जरी की और उनकी जान बचाई।

2007 में लिवर में कैंसर से पीड़ित गिलानी का इलाज किया गया। वह इलाज के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन आतंकवादियों से संबंधों के चलते अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया। वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने फिर से मुंबई जाना बेहतर समझा और वहां डाक्टरों ने उनका ऑपरेशन कर जान बचाई।

श्रीनगर लौटने पर उनके समर्थकों ने उनका स्वागत् कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत के अवैध कब्जे में है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया।■

खाद्य मंत्रालय - अब शर्मसार तब गौरवान्वित

& 'kkUrk dqekj

लोकतंत्र लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाया जाने वाला एक शासन तंत्र है। कुछ लोग चुने जाने के बाद उस तंत्र को चलाते हैं। यह सारी व्यवस्था मुख्यरूप से इस बात पर निर्भर करती है कि शासन करने वाले नीचे रहने वाले आम व्यक्ति के लिए कितना सोचते हैं, उनके सुख दुख को कितना कैसे महसूस करते हैं। संवेदना और एहसास पर ही लोकतंत्र का प्रभावी होना निर्भर होता है। आज यह एहसास और यह संवेदना खत्म होती दिखाई दे रही है। लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। देश का 70 लाख करोड़ रूपया विदेशी स्विज बैंकों में जमा हो गया। भ्रष्टाचार की महामारी देश को खोखला कर रही है। जिस देश में दुनिया में सबसे अधिक भूखे लोग रहते हैं उस देश की सरकार के गोदामों में करोड़ों रूपयों का अनाज सड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय उसे गरीबों में बांटने को कह रहा है और सरकार इंकार कर रही है।... यह सब इस बात का प्रमाण है कि संवेदना पत्थरा गई है। एहसास समाप्त हो गया है कहीं पर कुछ भी पसीजता नहीं।

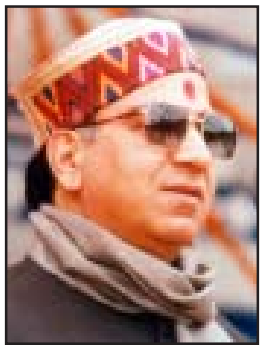

आजादी से पहले महात्मा गांधी हरिजन और गरीब को देख कर दुखी हुए थे और हरिजन बस्तियों में रहने लगे थे। गरीब के प्रति एक एहसास ने उनके सारे आर्थिक चिंतन को प्रभावित किया था। उन्होंने स्वतंत्र भारत को अन्त्योदय का मंत्र दिया था। उससे भी पहले स्वामी विवेकानन्द देश की गरीबी को देख कर इतने पसीज गये थे कि उन्होंने मोक्ष की इच्छा भी छोड़ दी थी और कहा था... ''हे प्रभु जब तक भारत का प्रत्येक भूखा व्यक्ति भर पेट भोजन नहीं कर लेता तब तक मुझे मोक्ष नहीं चाहिए।'' आज आम गरीब आदमी के लिए यह एहसास समाप्त होता दिखाई दे रहा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी खाद्य मंत्री का यह कहना कि अनाज गरीबों को नहीं बांटा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय को एक बार फिर से सरकार को फटकार देनी पड़ी। सरकार ने अनाज बांटना सवीकार किया। इससे बड़ी हैरानी व लज्जा की बात क्या हो सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह बात कहनी पड़ी और इससे बड़ी नालायकी क्या हो सकती है कि सरकार ने पहले इनकार कर दिया।

भारत कृषि प्रधान देश है। गरीबों का देश है और दुनिया में सबसे अधिक भूखे लोग भारत में रहते हैं। इसलिए भारत का खाद्य मंत्रालय अति महत्वपूर्ण मंत्रालय है। जब मुझे खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी तो मैं एकदम घबरा गया था। अनुभव नहीं था। इसी मंत्रालय में खाद्य, चीनी, कृषि, भारतीय खाद्य निगम जैसे प्रमुख विषय आते थे। मुझ से पहले कितने लोग इस मंत्रालय से बदनाम हो कर निकले थे। मुझे प्रसन्नता है कि मैं इस मंत्रालय को ठीक ढंग से चला पाया। मैंने सबसे पहले खाद्य निगम को अनुशासित और व्यवस्थित करने के विशेष प्रत्यन किये थे। भारत के एक अत्यंत योग्य और ईमानदार अधिकारी श्री भूरे लाल जी को प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह करके निगम का अध्यक्ष नियुक्त करवाया था। मेरी भावनाएं समझकर मेरे साथ सारे स्टाफ ने भी मेरा सहयोग दिया था।

मंत्रालय की एक पुरानी फाईल में सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट देखी। इसमें लिखा था कि भारत में गरीबों की संख्या 26 करोड़ है परन्तु 5 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि दो वक्त पूरी रोटी भी नहीं खा पाते। अनाज से गोदाम भरे पड़े हैं, रखने को जगह नहीं फिर भी 5 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं यह सोच कर ही मैं व्यथित हो गया था। वेदना और एक अपराध भावना की अनुभूति होने लगी थी। मैंने जब यह रिपोर्ट श्री अटल जी को दिखाई थी तो वे भी पसीज गये थे। उस एहसास में से ही अन्त्योदय अन्न योजना का निर्माण हुआ। जिसमें आज भी 10 करोड़ सबसे गरीब लोगों को 35 किलो अनाज 2 रूपये किलो गेहूं और 3 रूपये किलो चावल मिलता है। जब कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग इतने गरीब हैं कि 2 रूपये और 3 रूपये भी अनाज नहीं खरीद सकते तो अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। जिसमें ऐसे बेसहारा लोगों को 10 किलो अनाज मुफ्त में देना शुरू किया था। आज सरकार खाद्य का अधिकार जैसा कानून बना रही है परन्तु अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया। अनाज सबको देना है या गरीबों को देना है, कितना देना है किस भाव देना है, बस अभी चर्चा ही हो रही है। हमने

कुछ महीनों में ही इतने बड़े ऐतिहासिक निर्णय ले लिये थे। भण्डार भरे पड़े थे इसलिए बीपीएल का कोटा बढ़ाया। एपीएल को भी अनाज देना शुरू किया। काम के बदले अनाज की योजना शुरू की। देश के लाखों गांव में सस्ते भाव पर अनाज देना शुरू किया। मुझे याद है उन दिनों कुछ अनाज के व्यापारी मुझसे नाराज हो गये थे। चारों तरफ सरकारी दुकानों में इतना अन्न उपलब्ध था, इतनी योजनाएं थी कि लोगों को खुले बाजार में अनाज खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी।

आज एक तरफ गरीब और भूख, दूसरी तरफ सड़ता अनाज, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, सरकार का इंकार फिर न्यायालय की फटकार और फिर सरकार का स्वीकार– इस सबसे खाद्य मंत्रालय शर्मसार हुआ है पर श्री अटल जी की सरकार के समय योग्य प्रबंधन संवेदनशील योजनाओं और निर्यात से खाद्य मंत्रालय गौरवान्वित हुआ था।

इस बार सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी एक जनहित याचिका की सुनाई के समय हुई। हमारे समय में भी एक संस्था ने इसी प्रकार की जनहित याचिका की थी। उसमें कहा था कि सरकार के गोदाम भरे पड़े हैं और कुछ लोग भुखमरी से मर रहे हैं। उस समय भी खाद्य मंत्रालय को इसी प्रकार नोटिस आया था। मैंने विशेष प्रयत्न करके सारी योजनाओं का ब्यौरा न्यायालय को भिजवाया। तब तक कुछ प्रदेश राजनैतिक कारणों से अन्त्योदय योजना शुरू नहीं कर रहे थे। बंगाल ने बिल्कुल इंकार कर दिया था। हमने न्यायालय में कहा कि यदि प्रदेश सरकार अन्त्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना को कुशलता से लागू करे तो भुखमरी से किसी के मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात की सराहना की थी और योजनाएं लागू करने का सब प्रदेशों को निर्देश दिया था। मैंने विशेष रूप से श्री ज्योति बसु जी से बात की, वे सहमत हुए। बंगाल सरकार ने अन्त्योदय योजना शुरू करने का निर्णय किया। मैं स्वयं बंगाल गया था। एक ही मंच पर श्री ज्योति बसु जी के साथ हमने योजना का शुभारम्भ किया था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई है परन्तु तब हमारी सराहना की थी।

इन सब योजनाओं के बाद भी भण्डार में अनाज भरा था। पैदावार भी खूब होती थी और सरकारी खरीद भी समय पर पूरी की जाती थी। तब अनाज का निर्यात शुरू किया। विश्व के लगभग 25 देशों को अनाज भेजा जाने लगा। निर्यात की व्यवस्था को स्वयं देखने के लिए मैं गुजरात के कांडला बंदरगाह पर गया था। यह सोचकर कि भारत विश्व को अनाज निर्यात कर रहा है मुझे प्रसन्नता और रोमांच अनुभव हो रहा था। मैंने अधिकारियों को कहा कि मुझे वहां ले चलो जहां भारतीय अनाज जहाज में लादा जा रहा है।

मैं एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया सामने बहुत बड़ा जहाज था। उसमें अनाज लादा जा रहा था। मैं कुछ देर देखता रहा। देखते–देखते मेरी आंखें सजल हो गईं। पास खड़े अधिकारी हैरान हुए। वापिस जाकर मैंने उन्हें कारण बताया। मुझे वहां खड़े–खड़े बचपन की याद आ गई। मैं थुरल स्कूल में पढ़ता था, बाजार में गेहूं का आटा मिलना बंद हो गया। मक्की की रोटी खाई जा रही थी उन्हीं दिनों बाजरा और कई अन्य अनाजों की रोटियां लोग खा रहे थे। कई दिनों तक गेहूं का आटा प्राप्त नहीं हुआ। तभी चारो तरफ खबर फैली कि अमेरिका से गेहूं आ गया। थुरल बाजार का एक दुकान पर अमेरिका से आई हुई गेहूं मिल रही थी। पंक्ति में मैं भी जा कर खड़ा हो गया। खूब भीड़ थी। बारी आने पर कुछ गेहूं मुझे मिली और एक छोटी बोरी में डाल कर सिर पर उठा कर पांच किलोमीटर चल कर अपने घर तक आया। आज भी सोचता हूं तब का मेरा बालमन क्या–क्या सोचता रहा। मेरे दोनों तरफ खेत थे। किसान खेतों में काम कर रहे थे परन्तु गेहूं की रोटी खाये महीने बीत गये थे। कांडला की बंदरगाह पर भारतीय अनाज से लादे जाने वाले जहाज को देख कर एक पुरानी याद मेरी आंखों के सामने घूम गई। गौरव से मेरा सिर ऊंचा हो गया। हरित क्रांति लाने वाली सभी सरकारों को मैंने नमन किया। मुझे लगा कि कभी अमेरिका से आई गेहूं का बोझ सिर पर उठा कर घर पर आने वाला मैं आज खाद्य मंत्री के रूप में अपने देश से निर्यात होने वाले अनाज को देख रहा हूं। उस क्षण मेरे स्वाभिमान व गौरव की कोई सीमा न थी। दिल्ली आकर मैंने श्री अटल जी को जब यह बताया तो उन की आंखें भी एक राष्ट्रीय सम्मान से चमक पड़ी थी।

आज एक तरफ गरीब और भूख, दूसरी तरफ सड़ता अनाज, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, सरकार का इंकार फिर न्यायालय की फटकार और फिर सरकार का स्वीकार– इस सबसे खाद्य मंत्रालय शर्मसार हुआ है पर श्री अटल जी की सरकार के समय योग्य प्रबंधन संवेदनशील योजनाओं और निर्यात से खाद्य मंत्रालय गौरवान्वित हुआ था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस का एक निमित बनने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। ■

भाजपा पूर्वोत्तर सम्पर्क प्रकोष्ठ पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के बीच सामंजस्य बनाए : लालकृष्ण आडवाणी

गत 23 अगस्त 2010 को भाजपा पूर्वोत्तर सम्पर्क प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मुझे इस नवगठित प्रकोष्ठ में भाग लेते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे लगता है कि हमें इस प्रकोष्ठ का बहुत पहले गठन करना चाहिए था। हमारे पास अनेक प्रकोष्ठ हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारे पास क्षेत्र–विशिष्ट प्रकोष्ठ नहीं हैं। परन्तु भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी को यह नया कदम उठाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। निश्चित ही भाजपा को इससे लाभ होगा। मैं प्रकोष्ठ के संयोजक श्री सुनील देवधर को भी बधाई देना चाहता हूं।

वह महाराष्ट्रवासी हैं जिनका सम्बंध मुम्बई से रहा है। मीडिया के कुछ लोग जो उनके बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं, उन्हें आश्चर्य होगा कि आखिर एक महाराष्ट्रवासी को भाजपा पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का संयोजक क्यों बनाया। जो लोग इस बात पर हैरानी प्रगट करेंगे, वे न केवल सुनीलजी के बारे में नहीं जानते होंगे बल्कि वे इस बात से भी अपरिचित होंगे कि भाजपा क्या है और भाजपा किस प्रकार के वैचारिक अभियान से जुड़ी है।

सुनील जी ने दस वर्ष तक रा.स्व. सं. के प्रचारक के रूप में काम करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिताए। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र की कई भाषाएं सीखीं और वह इस क्षेत्र की संस्कृति और रीति रिवाजों से गहन रूप से परिचित हैं।

इतना ही नहीं, बल्कि जब वे रा. स्वं.सं. के प्रचारक नहीं रहे और वापस मुम्बई आ गए तो भी उनका पूर्वोत्तर से

निकट का सम्पर्क बना रहा और उन्होंने वहां एक अभूपूर्व संगठन का निर्माण किया। इसका नाम है ''माई होम इण्डिया'' और इसका नारा है– ''वन इण्डिया'', जिसमें 'वन' का अर्थ ''हमारे पूर्वोत्तर'' भाग से है। और महाराष्ट्र।

उनका यह संगठन मुम्बई और महाराष्ट्र में पूर्वोत्तर समुदाय के लिए एक मंच का काम करता है, जिसमें उन्हें कई प्रकार की सहायता दी जाती और यह लोगों तथा स्थानीय समुदाय के बीच भावनात्मक एकता के दृढ़ सम्बंधों का निर्माण करता है।

मुम्बई, पुणे और महाराष्ट्र को अन्य स्थानों में पूर्वोत्तर के सैंकड़ों विद्यार्थियों और प्रोफेशनल व्यक्तियों के लिए ''माई होम इण्डिया'' सचमुच अपने घरों से दूर ''माई होम'' का काम करता है। यह संगठन महाराष्ट्र के लोगों को पूर्वोत्तर राज्यों में जाने की सुविधाएं भी देता है।

अभी कुछ महीने पहले, सुनील जी के इस संगठन में मुझे मुम्बई के एक समारोह में नगालैण्ड के श्री पीसी जमीर को सम्मानित करने के लिए बुलाया था। श्री जमीर को यह सम्मान उनके गृह राज्य में राष्ट्रभाषा 'हिन्दी' का प्रचार करने के लिए उनकी आजीवन सेवा के लिए समर्पित किया गया था। जमीर महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था– ''हिन्दी की सेवा, राष्ट्र की सेवा''।

मैं उस दिन श्री भैरों सिंह शेखावत के निधन के कारण समारोह में भाग नहीं ले पाया था। परन्तु, मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हुआ कि एक नगा व्यक्ति को मुम्बई में सम्मानित किया गया, जहां की राज्य भाषा मराठी है और उन्हें यह सम्मान नगालैण्ड में हिन्दी का प्रचार करने के लिए दिया गया, जबकि नगालैण्ड अलगाववादी गतिविधियों का शिकार बना हुआ है। यह राष्ट्रीय एकता की दिशा में सच्चा और प्रशंसनीय प्रयास है।

परन्तु सुनील जी ही ऐसे प्रयासों के अपवाद नहीं है। भारत के अन्य भागों से रा.स्व.सं. के अनेक समर्पणशील स्वयंसेवकों ने भी पूर्वोत्तर भाग में ऐसा किया है और कर रहे हैं। उनमें से अनेक स्वयंसेवकों ने एबीवीपी में भी काम किया है। उनमें से कुछ सुनीलजी की तरह ही भाजपा में काम करने के लिए चुने गए हैं।

इस सम्बंध में एबीवीपी के प्रोत्साहन से ''इंटर–स्टेट लिविंग (सील) में विद्यार्थियों के अनुभव'' के रूप में पूर्वोत्तर के बहुत से विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया है कि भारत के अन्य भागों में रह सकें और काम कर सकें। यह उत्साहवर्धक बात है कि भारत के अन्य भागों से बहुत से विद्यार्थी पूर्वोत्तर में रहते हैं, काम करते हैं और अध्ययन करते हैं। बाद में तो यह भी देखा गया है कि इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के कुछ भागीदार तो मंत्री और मुख्यमंत्री भी बने।

देश में निश्चित ही ऐसा अन्य कोई अभियान नहीं है जिसने पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच भावनात्मक एकता के लिए कैडर प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से सजगता के साथ निरंतर और समर्पण भाव से काम किया है।

मित्रों, पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में पृथम पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ की रचना करके भाजपा ने यह दिखा दिया है कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामने खड़ी चुनौतियों, विकास, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को कितना महत्व देती है।

इनमें से अधिकांश चुनौतियां कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों द्वारा की गई उपेक्षाओं के पापों का नतीजा है।

यह बात एकदम साफ है कि पूर्वोत्तर भाग की सबसे बड़ी वे समस्या के प्रति जिस तरह की पहुंचा रही और इसके समाधान का जो रिकार्ड दिखाई पड़ता है, वह यह समस्या यही है कि बांग्लादेश से विशाल स्तर पर ''बाहरी हमले'' पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस समस्या के कारण न केवल असम का जनजीवन खतरे में पड़ गया है बल्कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी खतरे में डाल दिया है।

जब मैंने पिछले वर्ष असम में मजौली गाया था तो मैंने कहा था कि विश्व में सबसे बड़ा यह नदी–द्वीप निःसंदेह बाढ़ों के संकट में पड़ा रहता है, जिससे असम में तबाही मची रहती है। परन्तु असम में एक और प्रकार की ''बाढ़'' का खतरा है और वह है कि पड़ोसी बंग्लादेश से आए हुए अवैध आप्रवासी। यदि इस बाढ़ को नहीं रोका गया तो असम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।

''बाहरी हमले'' का वाक्य भाजपा ने नहीं गढ़ा है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में आईएमडीटी एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए बांग्लादेश की बड़ी मात्रा में घुसपैठ को ''बाहरी हमले'' के रूप में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल आईएमडीटी एक्ट को असंवैधानिक ठहराया बल्कि केन्द्र सरकार से बांग्लादेश से घुसपैठ बंद करने के कारगन कानूनी उपाए करने को कहा था।

परन्तु यूपीए सरकार ने किया क्या? उसने ''फॉरेनर्स एक्ट फार असम'' में संशोधन करते हुए ठीक आईएमडीटी एक्ट के प्रावधानों की त्रुटियों को इस एक्ट में ला दिया ताकि घुसपैठ बेरोकटोक जारी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित कानून को भी निरस्त कर दिया, केन्द्र सरकार को बुरी तरह से फटकारा और अपने पहले के निर्देशों को दोहराया तब से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कुछ नहीं किया।

स्पष्ट है कि पिछली कांग्रेस सरकारों की तरह यूपीए–I और II ने इस हमले पर मूक दर्शक बने रहना है। बल्कि ये तो अपने वोट बैंक की राजनीति की खातिर 'बाहरी हमले' को बढ़ावा और समर्थन दे रही है।

भाजपा को इन मुद्दों को उठाने पर साम्प्रदायिक कहा जाता है। ऐसा करके कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भारत की एकता और सुरक्षा की जानबूझ कर उपेक्षा कर केवल अपनी ही करतूतों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा राष्ट्र को इस खतरे से सावधान कर रही है। पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का उद्देश्य इस सम्बंध में पार्टी की गतिविधियों को तेज करना है।

भाजपा पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ की एक और गतिविधि यह है कि इसे उन विद्यार्थियों और युवाओं को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जो शेष भारत में शिक्षा और रोजगार के अवसर ढूंढना चाहते हैं। हमारी पार्टी को पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए और अधिक होस्टल बनाने के लिए अभियान चलाना चाहिए।

मेरा मानना है कि यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथारिटी ऑफ इण्डिया (यूआईएआई), जिसे पिछले वर्ष स्थापित किया गया था, भारत में अवैध घुसपैठ का हल निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किन्तु, लगता है कि सरकार के लिए इसकी कोई प्राथमिकता नहीं है। भाजपा जानना चाहेगी कि वास्तविक भारतीय नागरिकों को बिना परेशान किए सरकार ने तीन 'डी'– विदेशियों के डिटेक्शन, डिलीशन

(मतदाता सूची से नाम हटाने) और डिपोर्टेशन के बारे में कारगर ढंग से अभियान चलाने के लिए क्या कुछ किया है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि विदेशी लोगों को इस समय चल रही 2011 की जनगणना मे शामिल न किया जाए।

बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या को उजागर करते हुए भाजपा यह स्पष्ट करना चाहती है कि हम भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रतापूर्ण, शांतिपूर्ण और अच्छे पड़ोसी सम्बंध चाहते हैं। हम बांग्लादेश को फलते–फूलते देखना चाहता है और चाहते हैं कि वहां के नागरिकों का चहुमुखी विकास हो। हमारे दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के बंधन दोनों के लाभ के लिए मजबूत होने ही चाहिए। हमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना वाजेद से बड़ी आशाएं हैं। हम उनके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं।

भाजपा पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ की एक और गतिविधि यह है कि इसे उन विद्यार्थियों और युवाओं को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जो शेष भारत में शिक्षा और रोजगार के अवसर ढूंढना चाहते हैं। हमारी पार्टी को पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए और अधिक होस्टल बनाने के लिए अभियान चलाना चाहिए। भाजपा सरकारों वाले राज्यों में इस बारे में सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

इसी प्रकार प्रकोष्ठ को नेशनल मीडिया और विभिन्न राज्यों की मीडिया में भी और अधिक तथा बेहतर छवि बनाने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाना चाहिए।

पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की बहुमुंखी गतिविधियों और शेष भारत में पूर्वोत्तर की पार्टी गतिविधियों में सामंजस्य बिठाने की तरफ बढ़ना होगा। मैं मानता हूं पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ इन दोनों को सुनिश्चित करने में प्रमुख कार्य कर सकता है। ■

चिदम्बरम ने संसद में किया शीला के झूठ का खुलासा

दलित कल्याण कोष के 680 करोड़ रुपए खेलों पर लुटाये गये

Hkkजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने अनुसूचित जाति कल्याण कोष के करोड़ों रूपए खेलों पर खर्च करने के लिये मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बर्खास्तगी की मांग राष्ट्रपति से करते हुए कहा है कि कांग्रेस के दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा दिल्ली की 100 दलित बस्तियों में धरना देकर दलितों को यह बतायेगी कि उनके कल्याण की रकम खेलों पर खर्च के नाम पर डकार ली गई है।

गत 1 सितम्बर को यहां भाजपा दिल्ली प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री को सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी थी लेकिन ये लोग तब तक चुप रहे जब तक कि संसद में भाजपा सहित अनेक विपक्षी पार्टियों ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कराई। 31 अगस्त, 2010 को राज्यसभा में गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने स्पष्ट कहा कि उनकी नजर में 678.91 करोड़ रूपए की रकम जो कि अनुसूचित जाति कल्याण कोष के लिए आवंटित थी, को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च कर दिया है। श्री चिदम्बरम ने संसद को सूचित किया कि दलितों का पैसा खेलों पर खर्च करने के बारे में दिल्ली सरकार ने आम जनता को गुमराह किया है। यह भारत सरकार तथा योजना विभाग के दिशा–निर्देशों का खुला उल्लंघन है। योजना आयोग के आदेशों के उल्लंघन करने पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत सभी दोषियों पर मुकदमा कायम करके उचित आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञात हो कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अपने कल्याण कोष की रकम लुटाने पर 6 अगस्त को संसद पर विशाल प्रदर्शन भी किया था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूपीए सरकार की नीतियां दलित विरोधी हैं इसका पर्दाफाश इसी आपराधिक कृत्य से हो जाता है। इसके लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्र के दलितों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना आयोग के नवीन दिशा–निर्देश यह हैं कि अविभाज्य श्रेणियों के तहत आवंटित दलित फंड सिर्फ अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित परियोजनाओं पर ही खर्च की जानी चाहिए। ऐसा न करके लगभग 700 करोड़ रूपए खेलों पर खर्च के नाम पर शीला सरकार ने लूट लिये और असत्य बोलते हुये मुख्यमंत्री ने मीडिया, दिल्ली के दलितों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता को सूचित किया कि दलितों के कल्याण फंड का एक रूपया भी उन्होंने खेलों की ओर डायवर्ट (अंतरित) नहीं किया है। यह अवमानना का सीधा मामला है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कानून, नैतिकता और संसद की अवमानना का भी मामला चलाना चाहिए। ■

स्वायत्तता स्वीकार नहीं : मुरली मनोहर जोशी

लोकसभा में 26 अगस्त, 2010 को कश्मीर की स्थिति पर हुयी चर्चा में भाग लेते हुए डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि सरकार को जम्मू–कश्मीर को स्वायत्तता देने के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। हम यहां डॉ. जोशी के भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:–

कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग रहा है, आज से नहीं, हमेशा से रहा है और मुझे यह विश्वास है कि हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हिन्दुस्तान से अलग नहीं कर सकती। आज सवाल यह है कि ऐसे कश्मीर को जिसने हमे साहित्य दिया, प्राकृतिक सौन्दर्य दिया, अच्छे–अच्छे तीर्थस्थान दिए जो इस देश का मुकुट, इस देश के सारे साहित्य में, धर्म में, संस्कृति में बना रहा, आज वह क्यों जल रहा है? मेरे सामने माननीय गृहमंत्री का वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर में यह हिंसा पत्थरों की मार के कारण शुरू हुई है यह माननीय गृह मंत्री जी का बयान है 'इस बात की पुख्ता खुफिया जानकारी है कि कुछ सशस्त्र आतंकवादी भीड़ में मिल गए होंगे और सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई होंगी'। इसकी जानकारी कि ऐसा होने वाला है, अप्रैल के महीने से सरकार के पास थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्टस आपके पास थी। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने जम्मू और कश्मीर के लोगों से संबंधित राजनैतिक मुद्दों के हल के लिए एक डायलॉग की अपील की।

कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग रहा है, आज से नहीं, हमेशा से रहा है और मुझे यह विश्वास है कि हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हिन्दुस्तान से अलग नहीं कर सकती। आज सवाल यह है कि ऐसे कश्मीर को जिसने हमे साहित्य दिया, प्राकृतिक सौन्दर्य दिया, अच्छे–अच्छे तीर्थस्थान दिए जो इस देश का मुकुट, इस देश के सारे साहित्य में, धर्म में, संस्कृति में बना रहा, आज वह क्यों जल रहा है?

लेकिन वे पॉलिटिकल इश्यूज क्या है? वहां के जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, वे कभी भी डायलॉग को पसंद नहीं करेंगे, कभी भी डायलॉग होने नहीं देंगे, डायलॉग उनका रास्ता नहीं है। इस बात को समझकर हमें चलना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि अगर शांति हो जाए फिर हम जेनुअन ग्रीवेंसेज को दूर करेंगे। हम आज तक नहीं समझ पाये हैं कि जेनुअन ग्रीवेंसेज का दायरा क्या है? हमने जो किसी भी आंदोलनकारी के मुंह से यह नहीं सुना कि उनकी कोई आर्थिक मांग है, डिवलेपमेंट की मांग है। उनकी कौन सी जेनुइन ग्रीवेन्स है? अगर आजादी या आटोनोमी ही उनकी जेनुइन ग्रीवेंस है तो आप उन्हें साफ बता दें कि आटोनोमी या आजादी एक्सेप्टेबल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी मीटिंग में दिए गए बयान का हवाला दे रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेज का मनोबल गिराने की दिशा में कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज वहां सिक्योरिटी फोर्सिस की हालत यह है कि लोग फील्ड ड्यूटी पर जाना नहीं चाहते हैं। अगर कोई अफसर फील्ड ड्यूटी पर नहीं जाना चाहता है, इसका मतलब है कि वह डिमोरेलाइज है। वे डिमोरेलाइज हो रहे हैं और हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। आप वहां पैसा दे रहे हैं। लेकिन कहां जा रहा है? अगर इसमें करप्शन है तो वह जम्मू–कश्मीर सरकार का है। इसमें भारत सरकार का क्या दोष है? यह कहना कि प्राब्लम इकनॉमिक प्राब्लम है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। आज घाटी के लोगों में आपकी सरकार

के लिए कोई विश्वास नहीं है। आप जो कुछ कहते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्टोन पैल्टिंग के पीछे एक्सटर्नल डायमैन्शन है।

कुछ दिनों पहले आर्मी चीफ ने एक बात कही थी कि एक वक्त था आंदोलनकारी शांत थे, मिलिटैंसी मार्जिनलाइज्ड थी और बहुत सारे लोग डैमोक्रेटिक प्रोसैस में शामिल होने के लिए तैयार थे। अगर ये सब लोग डैमोक्रेटिक प्रोसैस उस वक्त ले आते तो शायद आज के हालाद पैदा नहीं होते। अप्रैल महीने से यह इंटैलीजैंस रिपोर्ट आ रही थी कि वहां कुछ नये चेहरे, खासकर पश्चिम से आ रहे थे। एक वक्त था जब बड़ी तादाद में मुजाहिदीन ने सरेंडर किया था। वे लोग 10–12–15 हजार की तादाद में थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने उन्हें रीहैबिलिटेट नहीं किया और आज वही लोग हैं जो स्टोन पैल्टिंग में लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे लोग जिहाद को छोड़कर हिन्दुस्तान के साथ रहे लेकिन आप ऐसे एलीमैंट्स को भी साथ नहीं रख पाये हैं। आपकी कोई नीति वहां सफल नहीं हुई है। स्टोन पैल्टिंग इकोनोमिक पैकेज ने देने का नतीजा नहीं। अगर सरकार ने वे नीतियां न बदली होती जो एनडीए सरकार ने श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलायी थी तो शायद ये हालात पैदा न होते। एनडीए सरकार ने इस बारे में स्पष्ट ऐलान किया था कि इंसानियत के दायरे में सारी बात करेंगे मगर ऑटोनॉमी और आजादी का सवाल नहीं है। डिवॉल्यूयान ऑफ पावर्स हो सकता है और वह भी इस आधार पर कि सारे देश के लिए सेंटर–स्टेट रिलेशनशिप का विचार किया जाए। लेकिन आप उस तरफ भी आगे नहीं बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले जाकर कह दिया कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का विक्टिम है, फिर उसे ब्लूचिस्तान से जोड़ दिया और इतना ही नहीं यह कह दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ–साथ चल सकते हैं। आपने मुजाहिदीनों को कश्मीर का वातावरण बिगड़ने की खुली छूट दी। आप एक बार गौर कीजिए जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं।

अमेरिका अफगानिस्तान से निकलकर भागना चाहता है और इसमें उसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। पाकिस्तान कश्मीर में कुछ छूट चाहता है। इसी बारे में अमेरिका हम पर दबाव डालता है कि कुछ करो। आप अमेरिका और पाकिस्तान के हितों के लिए भारत के हितों का बलिदान नहीं कर सकते हैं। यदि अमेरिका, तालिबानियों के हाथ में अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया तो पाकिस्तान पर भी तालिबानी कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। अगर उस वक्त यहां फौज भी हट गयी और लोगों के साथ भी आपके संबंध ऐसे रहे तो कश्मीर के भी आपके हाथ से निकल जाने के रास्ते खुल जायेंगे। पश्चिमी देशों को पाकिस्तान की जरूरत है और हिन्दुसान उनके सामने गौण है। आज पाकिस्तान के साथ चीन भी है। आप अकेले हैं। दूसरी तरफ आप अपनी हिम्मत का प्रदर्शन नहीं करते। वर्ष 1994 में किए गए इस सदन के प्रस्ताव को याद नहीं रखते, जिसमें हमने कहा था कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। क्या आपकी बातचीत उस रास्ते पर है? क्या आप धारा 370 को घिसने की तरफ बढ़ रहे हैं या उसे और मजबूत करके हिन्दुस्तान में कश्मीर को एक अलग राज्य बनाने की कोशिश में हैं?

आप सैफरन टैररिज्म की बात करते हैं। सैफरन हमारे राष्ट्रध्वज के ऊपर है। वह टैररिज्म का प्रतीक नहीं हो सकता। यह सैफरन था, जिसने हिन्दुस्तान को सारी दुनिया का गुरू बनाया।

मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आपने यहां आटोनॉमी की बात शुरू की तो नॉर्थ–ईस्ट में भी आपके लिए संकट पैदा हो जाएगा। लोगों से कहिए कि काश्मीर हिन्दुस्तान का अविभाज्य अंग है, ये दंगे बंद कीजिए। वहां की असली मांगें हो सकती हैं, उन पर गौर किया जाएगा। आप क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ पत्थरबाजी से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं? उनको जरा समझाइए बताइए कि किस तरह से काम करना चाहिए। जनता में जाएं, मिलें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर अकेला संकट में नहीं है। उसके साथ सारा देश संकट में आता है। यह संकट आप कैसे हल करेंगे?

प्रधानमंत्री कहते हैं कि साठ साल से यह समस्या है, कॉम्पिलकेटेड है। यह काम्प्लिकेशन तो आपने पैदा किया है। अब आप हमसे कहते हं कि रास्ते निकालिए। हम आपकी मदद करेंगे अगर रास्ते ठीक होंगे। अगर आपने सामान्य तौर पर इस तरफ कदम बढ़ाना है तो आप जरा धारा 370 के बारे में भी गहराई से विचार कीजिए। मगर बजाय वैसा करने के, मुझे आज अफसोस है कि आप सैफरन टैररिज्म की बात करते हैं। सैफरन हमारे राष्ट्रध्वज के ऊपर है। वह टैररिज्म का प्रतीक नहीं हो सकता। यह सैफरन था, जिसने हिन्दुस्तान को सारी दुनिया का गुरू बनाया। जिसने सारी दुनिया को शांति का संदेश दिया सद्भावना का संदेश दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपने कह दिया, आगे कहना बंद करें, वरना इस देश में भारी प्रतिक्रिया पैदा होगी। यह आपके कश्मीर के मामलों को सुलझाने में भी दिक्कतें पैदा करेगा। ■

परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व विधेयक-2010

मुआवजा मामले में परमाणु आपूर्तिकर्ताओं के दबाव में न आए सरकार : अरुण जेटली

गत 30 अगस्त, 2010 को राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए इस विधेयक के प्रावधानों का समर्थन किया। हम यहां उनके भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:–

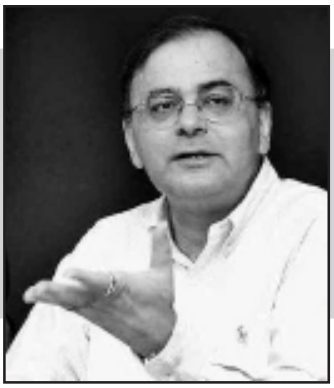

बस विधेयक को इसके संशोधित रूप में लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है। मेरी पार्टी इस विधेयक को इसके संशोधित रूप में ही समर्थन देती है। अमेरीका के साथ सरकार के सिविल परमाणु सौदे के संबंध में कतिपय कारणों से हमारी अभी भी गंभीर आपत्तियां हैं। परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए विकल्प को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन, जहां तक परमाणु विद्युत का संबंध है इसमें आने वाली कम लागत के बारे में अभी भी गंभीर संदेह है और यह मसला बना रहेगा। जहां तक परमाणु विद्युत का संबंध है, हमारे पास पहले से ही परमाणु कार्यक्रम है। वास्तव में, यह विधेयक इस मसले के संबंध में विचार नहीं करता है कि इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा या नहीं। यह सिविल परमाणु सौदे के संबंध में विचार नहीं करता है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। हमारे पास भोपाल गैस रिसाव एक दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव है। लेकिन अन्य प्रकार की घटनाएं भी घट सकती है जो परमाणु रिसाव के कारण नहीं होती है। इसके अलावा, यह कानून दांडिक उपचारों पर विचार नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि इन बिन्दुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

यह तथ्य कि रिसाव हुआ है, अपने आप में एक प्रमाण है कि सरकार ने इस मामले को समुचित ढंग से नहीं निपटाया है और इसलिए सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कानून है जो दशकों या शताब्दी या उससे भी अधिक समय तक उपयोग में लाया जाएगा, को इतनी जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कानून बनाने से पूर्व पर्याप्त रूप से सार्वजनिक बहस होनी चाहिए थी। भारत में परमाणु ऊर्जा या संयंत्रों का परिचालन किसके द्वारा किया जाएगा, के मुद्दे को इस कानून में जिक्र नहीं किया गया है। इसके बारे में उपबंध परमाणु ऊर्जा अधिनियम में किया गया है। भारत परमाणु ऊर्जा अधिनियम में स्पष्टतौर पर यह उपबंध किया गया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रचालन भारत सरकार या उस कंपनी में जिसमें भारत सरकार सरकार की अधिक हिस्सेदारी हो, द्वारा किया जा सकता है। अतः सरकार का यह नीतिगतनिर्णय है कि प्रचालन केवल सरकार या सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी द्वारा किया जा सकता है। यह तथ्य के नुकसान हुआ है। इसका शिकार होने वाले असहाय और गरीब व्यक्तियों को यह दिखाना नहीं पड़ेगा कि संयंत्र का स्वामी या प्रचालक की लापरवाही के कारण यह नुकसान हुआ है। रिसाव का होना ही एक तथ्य है जो लापरवाही का स्वयं में प्रमाण है। विधेयक की संरचना बिल्कुल स्पष्ट है कि यह विधेयक दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की संरक्षा के लिए है। अतः इस कानून का प्रमुख उद्देश्य दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को अधिकार तथा आसीन उपाय प्रदान करना है।

हम लोग मिलियन डॉलर के बारे में तो समझ सकते हैं। लेकिन इसमें 300 स्पेशल ड्राइंग राइटस का जिक्र किया गया है। अब आम भारतीय इस बात को समझ नहीं पाएगा कि 30 एसडीआर क्या है। हमें इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालक के मामले

में दायित्व स्वीकार करती है। अब यदि हम निजी क्षेत्र के प्रचालकों को दायित्व को भी स्वीकार करना शुरू कर दें तो फिर भारतीय संवैधानिक कानून के साथ उसका समन्वय किस प्रकार से किया जाएगा जिसमें यह कहा गया है कि प्रदूषण फैलाने वाले कुछ निजी क्षेत्र के प्रचालक होंगे, दुर्घटना के शिकार भारत के लोग होंगे और भारत सरकार के माध्यम से करदाताओं द्वारा भुगतान किया जाएगा। हमने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार को इस कानून में ही इस आशय की घोषणा करनी चाहिए कि यह सिद्धांत केवल सरकारी या सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के मामले में लागू होगा। मुझे खुशी है कि इस कानून में ही वह घोषणा की जा चुकी है।

लापरवाही के बारे में सिद्ध कर पाना दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए काफी मुश्किल कार्य है। हमें परमाणु दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के मुकदमेबाजी में नहीं धकेलना चाहिए। दायित्व की कानूनी माध्यम का सिद्धांत जिसे हमने स्वीकार कर लिया है, में भारत के अंदर उसे दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के कल्याण वाला कानून के रूप में विचार करना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसे ऐसा कानून नहीं बनने देना चाहिए जहां प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों द्वारा भुगतान करने के बजाए सरकार प्रदूषण फैलाने वाले प्रचालक को ही भुगतान करना शुरू कर दे और इस प्रकार से यह कानून दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के कल्याण करने के बजाय आपूर्तिकर्ता का बचाव करने वाला कानून बन जाए।

यह अफसोसजनक है कि इस कानून के चरित्र को बदलने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। इसे आपूर्तिकर्ता के बचाव वाला कानून बनाने हेतु पिछले दरवाजे से ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया। परिवहन के दौरान दायित्व संबंधी मुद्दे भी सामने आए हैं। ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जहां हम यह चाहते थे कि सरकार अपना विकल्प खुला रखे कि व अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय में शामिल हो या नहीं। हम यह भी चाहते थे कि दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के मामले में दायित्व हेतु कानूनी माध्यम का यह सिद्धांत जिसे प्रचालक तक ही सीमित रखा गया है, बनाए जाने के साथ–साथ दायित्व के मामले में बिना दोष के दायित्व का भी उपबंध किया जाना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को लापरवाही सिद्ध करने हेतु न्यायिक मंच के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।

इनमें से अधिकतर संशोधनों को सरकार ने सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस कानून का स्वरूप और भावना दोनों ही दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित हैं लेकिन खण्ड 17 में अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अवलंबन का अधिकार प्रचालक को दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रचालक की ही दायित्व को माध्यम बनाया गया है। सरकार या सरकारी क्षेत्र की कंपनी ही इसका प्रचालन करेगी और यदि लिखित संविधान में ऐसा उपबंध हो तो अवलंबन के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जब स्थायी समिति की रिपोर्ट की रिपोर्ट आयी तो हमने उसमें यह पाया कि बड़ी ही बनाड़ी ढंग से खण्ड 17 (क) और (ख) के बीच में 'यह' शब्द डाल दिया गया है। खण्ड 17 (ग) आपूर्तिकर्ता को प्रचालक के विरूद्ध इस अधिकार का उपयोग करने का अधिकार होगा यदि इस मामले में एक लिखित संविदा को हम कार्यवाही करने का उपबंध नहीं करना चाहते हैं। अतः दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए यह कानून बनाने के बजाय यह कानून आपूर्तिकर्ताओं के लिए बचाव का कानून न बन जाए।

हमने 'और' शब्द को हटाने पर जोड़ दिया क्योंकि हम आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध करना चाहते थे। भारत सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गयी गलती के लिए दायित्व क्यों स्वीकार करे। यह सच है कि विद्युत संयंत्रों के मामले में परमाणु प्रौद्योगिकी लगभग पूर्णतः के स्तर को प्राप्त कर चुका है। मुझे विश्वास है कि अब इस प्रकार की घटना नहीं होगी। लेकिन हमें भविष्य में इससे रक्षा करने का प्रावधान करना चाहिए। आगे, खण्ड 17 (ख) में 'घटना' शब्द डाल देने से विधेयक में आपूर्तिकर्ताओं का दायित्व काफी कम हो जायेगी। मुझे खुशी है कि आज के इस संशोधित विधेयक में उस शब्द को भी हटा दिया गया है।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस अभियान में न बहे और विश्वास के साथ उन निबंधनों के संबंध में वार्ता करे। यह तो क्रेता बाजार होने जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पश्चिमी यूरोप अथवा अमरीका जो कहे वही मुख्यधारा है। 120 से अधिक देशों ने भारत का समर्थन किया है और अभी भी वे भारत के साथ हैं। अमरीकियों ने भेषज मूल्य निर्धारण की सतत आलोचना की है। इससे हमारा जैव उद्योग जीवंत रहा है। कई विकासशील देशों ने भारतीय मॉडल को स्वीकार किया है। 17(ख) का क्या प्रभाव पड़ेगा जो आपने प्रस्तुत किया है। केवल प्रचालक ही नाभिकीय क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। अतः, उन्होंने तर्क दिया कि आपूर्तिकर्ता को हटा दिया गया है। पीड़ित लोग केवल प्रचालक पर मुकदमा कर सकते हैं। सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने अभिप्राय में सदैव चौकस एवं सतर्क रहे। ■

शिक्षा अधिकार विधेयक– 2010

अधूरा है यह विधेयक : बाळ आपटे

गत 31 अगस्त, 2010 को राज्यसभा में शिक्षा अधिकरण विधेयक पर हुयी चर्चा के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बाळ आपटे द्वारा दिए गए भाषण का सारांशः–

दई समितियों ने 21वीं सदी में देश की भूमिका का पूर्वानुमान करते हुए सिफारिशें दी हैं। चुनौती तो गुण, परिणाम, प्रसार, समावेश और विनियमन की है। इसकी अभिक्रिया मुस्लिम बहुत जिलों में अलीगढ़ विश्वविद्यालय का परिसर है। आप किस प्रकार निम्नतम स्तर पर प्रतिभा का चयन एवं संपोषण करेंगे। सभी ने सुझाया है कि एक विनियम होना चाहिए। मौजूदा शिक्षा अधिकरण विधेयक अर्धपक्व है। हम अधिकारणों का गठन करते हैं। हमारे पास त्वरित न्याय के लिए कुटुम्ब न्यायालय हैं, उपभोक्ता न्यायालय हैं। ये सब वही स्थान हैं जहां, लगभग न्याय नहीं किए जाते हैं। अतः, अधिकरण की आवश्यकता क्यों? इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। जब सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की गई थी तो उनके पास इस प्रयोजनार्थ एक पैसा भी नहीं था। यह एक ऐसा विधान है जिसे सिर्फ यह प्रदर्शित करने के लिए लाया गया है कि वे कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कब यह विनियामक प्राधिकरण बनेगा। स्थायी समिति ने अभिलिखित किया है कि यह विधेयक पुरानी सिफारिशों पर आधारित है। इस पर केवल चार राज्यों ने हामी भरी है। बाकी राज्यों ने कोई उत्तर नहीं दिया है। यदि राज्य उन्हें नहीं चाहता है तो केन्द्र उनका अनुसरण करे।

अब जहां हम इतने सारे न्यायाधिकारण सृजित कर रहे हैं, इसलिए न्यायिक प्रभाव का मूल्यांकन करना जरूरी हो गया है क्योंकि प्रत्येक न्यायाधिकारण उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है और इसके द्वारा निर्णय दिए जाने की शक्ति अंततः उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन लाई जाएगी।

अंततः किसी न्यायाधिकरण के अस्तित्व में आने से मुकदमाबाजी की शुरूआत होती है और यदि वह मुकदमा उच्च न्यायालयों में वर्षों तक लंबित रहता है तो फिर न्यायाधिकरण का सृजन किया जाना हास्यास्पद हो जाता है। खंड 3 (1) (भ) में सेवा संबंधी मामले और अनुशासनात्मक मामले की चर्चा की गयी है। सेवा संबंधी मामले और अनुशासनात्मक मामले की चर्चा की गयी है। सेवा संबंधी मामला या अनुशासनात्मक मामला चाहे कुछ भी हो, उनके कारण काफी अधिक मुकदमेबाजी की स्थिति पैदा हो सकती है। खंड 15 में अनुचित व्यावहारों की चर्चा की गयी है। किसी शैक्षणिक संस्थान के अनुचित व्यवहार को परिभाषित नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय यदि हस्तक्षेप करना चाहे, तो उसे ऐसा करने की शक्ति प्राप्त है। अपील का अधिकार का सृजन करने से फिर मुकदमेबाजी की स्थिति पैदा हो सकती है।

कार्य पूरा किए जाने के उपबंध को जानबूझकर इतना अधिक अस्पष्ट रखा गया है। इससे संबंधित खंड स्पष्ट नहीं हैं। यह उपबंध किया गया है कि न्यायाधिकरण स्वतंत्र हैं। न्यायाधिकरण नागरिक दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों की प्रक्रिया के अधीन नहीं है अतः उनकी सोच यह हो जाती है कि वे लोग जो चाहे कर सकते हैं। इस पूरी संरचना में छात्र का कहीं जिक्र नहीं है।

कार्य पूरा किए जाने के उपबंध को जानबूझकर इतना अधिक अस्पष्ट रखा गया है। इससे संबंधित खंड स्पष्ट नहीं हैं। यह उपबंध किया गया है कि न्यायाधिकरण स्वतंत्र हैं। न्यायाधिकरण नागरिक दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों की प्रक्रिया के अधीन नहीं है अतः उनकी सोच यह हो जाती है कि वे लोग जो चाहे कर सकते हैं। इस पूरी संरचना में छात्र का कहीं जिक्र नहीं है क्योंकि हम संस्थानों के बीच समझौता कराए जाने के इच्छुक मात्र हैं। छात्र यहां अप्रासंगिक है। अल्पसंख्यक संस्थानों को न्यायाधिकरणों की इतनी महत्वपूर्ण संरचना से अलग रखा गया है। तो फिर, हम अल्पसंख्यक संस्थानों को कहां ले जा रहे हैं। ■

अवैध खनन गंभीर चुनौती : अरुण जेटली

अवैध खनन करने वालों और अवैध खनन करने वालों की दो अलग–अलग श्रेणियां हैं। वैध खनन के वास्ते विधि सम्मत अनुमति रखने वाले उस क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, जिसमें उन्हें वैध खनन का हक मिलता है। वे उससे ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी उन्हें अनुमति प्राप्त है और इस तरह वैध खनन के वेश में भारत में अवैध खनन फलता–फूलता रहता है।

अतिशय खनन के परिणाम

खनन एक उद्योग है, जिसमें बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संसाधन को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। रॉयल्टी और करों से मिलने वाला राजस्व न्यूनतम होता है। अवैध खनन के कारण भारी पैमाने पर कर वंचना होती है। पड़ोसी की भूमि पर अतिलंघन करने की प्रवृत्ति देखी जाती है, जिससे अप्रिय मुकद्दमेबाजी और संघर्ष पैदा होता है। उससे अधिक जिसकी अनुमति है, में खनन करने की प्रवृत्ति देखने में आई है। खनन से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे वन क्षेत्र में रहने वालों की जिंदगी उजड़ जाती है। इसके कारण सामाजिक अशांति फैलती है। इसके कारण कुछ लोगों के हाथ में विशाल आर्थिक संसाधन आ जाते हैं। जहां राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन, स्थानांतरण/तैनाती ऐसे क्षेत्र हैं, जिनसे शासन कार्य में भ्रष्टाचार बढ़ता है, वहीं अर्थव्यवस्था में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें विशाल संसाधन प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में चले जाते हैं। शुरू में, अल्कोहल तथा लिकर व्यापार का राजनीति पर भ्रष्टाचारी प्रभाव पड़ता था। आजकल भू–संपत्ति और प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा का क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्होंने हमारे देश के अनेक भागों में प्रशासन को भ्रष्ट कर दिया है। शिक्षा का क्षेत्र मानव संसाधन का सृजन करता है।

भू–संपत्ति क्षेत्र आवास आदि में योगदान करता है और अन्य स्थान सुलभ कराता है। इसके विपरीत खनन ऐसा उद्योग है, जहां एक विशाल राष्ट्रीय संसाधन प्राइवेट हाथों में चला जाता है। इसके बदले राज्य को अपर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है, जो खनिजों का व्यापार करते हैं वे आय से ज्यादा धन अर्जित कर लेते है। इस धन से वे राजनीति और शासन दोनों पर अनुपात से अधिक प्रभाव डालने में समर्थ हो जाते हैं।

सुझाव

मुख्य प्रश्न यह है कि खनन किसको करना चाहिए। कुछ सदस्यों में यहां तक सुझाव दिया है कि भारत में सभी खनन को राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिए। यह अतिवादी सुझाव है। मगर प्रथम आवेदक को आबंटन के आधार पर खदानों के आबंटन की मौजूदा प्रणाली, जिससे एक खदान खोल दी जाती है, उसका भी कोई तर्काधार नहीं है। यही परिपाटी है, जिसने वास्तविक उपयोगकर्ताओं के स्थान पर व्यापारियों को खनन का नियंत्रण पाने में मदद की है।

26 अगस्त को राज्यसभा में अवैध खनन मामले पर हुई बहस के दौरान विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा राज्यसभा में दिए गए भाषण का सारांशः–

व्यापारियों द्वारा निकाले गए खनिज घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी लाभ पर बेच दिए जाते हैं। अतः यह विचारणीय है कि क्या वरीयता के रूप में खदानों का आबंटन उनको किया जाना चाहिए, जो खनिजों के वास्तविक उपयोगकर्ता हैं।

खनन या बिक्री के माध्यम से वास्तविक उपयोगकर्ताओं को खनिजों का आबंटन नीति के एक हिस्से के रूप में समाहित होना चाहिए। वास्तविक उपयोगकर्ताओं को आबंटन में अनिवार्यतः मूल्य–वर्धन शामिल होगा। इससे खनिज की उपयोगिता बढ़ेगी। इससे भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इससे विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू तथा विदेशी दोनों तरह के निवेश आकर्षित होंगे। भारत का कृषि क्षेत्र अल्प–रोजगार तथा बेरोजगारी से पीड़ित रहता है। लोग कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र तथा विनिर्माण क्षेत्र की तरफ चले जाते है। अतः केवल व्यापारियों की बजाय विनिर्माताओं को खदान और खनिजों के आबंटन को जोड़कर भारत के निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देना जरूरी है।

भारत के पास बेशी विदेशी मुद्रा है। हमें इस क्षेत्र में किसी संकट की आशंका नहीं है। अतः इस समय निकाले गए, खनिजों का अंधाधुंध निर्यात हमारे मूल्यवान राष्ट्रीय

संसाधनों को हमारे विदेशी प्रतियोगियों को स्थानांतरित कर रहा है। प्रत्येक वह खनिज, जिसकी भारत में कम उपयोगिता है, जैसा कि ऑयरन और फाइंस हैं, अब उनकी भारत में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता है क्योंकि अब इनको Pellets में परिवर्तित करने की टैक्नॉलाजी उपलब्ध है। ऐसी टैक्नॉलाजियों को आयातित करने की आवश्यकता है ताकि भारत स्वयं इस खनिज के मूल्यवर्धन के माध्यम से एक निर्माण केन्द्र बन सके। सरकार के लिए यह विचारणीय हो सकता है कि ऑयरन और सहित कतिपय खनिजों का निर्यात बंद कर दिया जाए। मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कार्यवाही करते समय intergenerational equity पर ध्यान दिया जाना होगा। वर्तमान जनरेशन उसका उपयोग नहीं कर सकती है, जो प्रकृति ने हमें आने वाले सभी समयों के लिए दिया है। वर्तमान पीढ़ी द्वारा अनुपात से खनन inter-generational equity को प्रभावित करने जा रहा है। हमें केवल उतनी मात्रा में खनन की अनुमति देनी चाहिए, जिससे हम भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त संसाधन पीछे छोड़ पाए।

खनिजों पर रॉयलटी और कर नगण्य हैं। इन करों की पुनरीक्षा करने और इनकी मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। एक सुसंगत प्रश्न तब पैदा होगा जब इसके बारे में कभी नीति बनाई जाएगी कि विद्यमान पट्टों का क्या होगा। क्या ऐसे पट्टे कानून की प्रक्रिया द्वारा स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे या उनको अपना स्वाभाविक कार्य पूरा करने की अनुमति दी जाएगी तथा सभी भावी आबंटन उक्त नीति के आधार पर किए जाएंगे। मेरा सोचना है कि सरकार द्वारा इस बारे में नीतिगत निर्णय करते समय साम्य (Equity) पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। ■

खाद्यान्न की बदइंतजामी के विरुद्ध जनमत जागृत करेगी भाजपा

भारतीय जनता पार्टी माननीय उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का स्वागत करती है, जिसमें उन्होंने केन्द्र सरकार को खाद्यान्नों को सड़ने/नष्ट होने देने की बजाय गरीब लोगों में मुफ्त बांटने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय का आदेश कांग्रेस नीत केन्द्र सरकार के मुँह पर तमाचा है, जिन्होंने न्यायालय के निर्देश की यह कहते हुए अनदेखी करनी चाही थी, "उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल करना संभव नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा था कि "यह न्यायालय का एक सुझाव मात्र था।" श्री शरद पवार को सही अर्थ में झिड़की देते हुए शीर्षस्थ न्यायालय ने आज अपने आदेश में एडीशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा, "अपने मंत्री जी से कहिए कि खाद्यान्नों का मुफ्त वितरण किया जाना हमारा आदेश है, न कि सुझाव।"

आज की घटना भाजपा की इस स्थिति का समर्थन करती है कि केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और सरकारी भंडारगृहों में भंडारण की क्षमता के अभाव के कारण देश के विभिन्न भागों में खुले में सड़ रहे भारी मात्रा में खाद्यान्न की आपराधिक बरबादी के प्रति मूकदर्शक बनी रही। इस खाद्यान्न को मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त होने से पहले ही निर्धनतम लोगों में वितरित किया जाना समाचीन होगा। भाजपा ने विगत 6 महीनों से देश के मूल्यवान अनाज के भंडार को संभालने में अधिकारियों की घोर लापरवाही के विरूद्ध एक राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा हुआ है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री किरीट सोमैया से विभिन्न राज्यों में वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का अचानक दौरा कराए जाने के लिए कहा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा में फरीदाबाद स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तथा सरकार के भंडारगृहों का दौरा करके इस अभियान की शुरूआत की थी और सड़ रहे खाद्यान्न के नमूने इकट्ठे किए।

केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और सरकारी भंडारगृहों में भंडारण की क्षमता के अभाव के कारण देश के विभिन्न भागों में खुले में सड़ रहे भारी मात्रा में खाद्यान्न की आपराधिक बरबादी के प्रति मूक दर्शक बनी रही।

भाजपा टीम ने 6 राज्यों – पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र – के 22 स्थानों का अचानक दौरा किया और वहां निराशाजनक स्थिति देखी कि भारी मात्रा में खाद्यान्न खुले में पड़े सड़ रहे हैं। इससे संप्रग के उन थोथे, किंतु बड़े दांवों का भंडाफोड़ हुआ कि देश के अनाज के भंडार सुरक्षित तथा निरापद है। भाजपा टीम ने 31 अगस्त को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर "खाद्यान्न की आपराधिक बरबादी की दास्तान" थीम पर एक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की। पार्टी की योजना है कि इस अभियान को देश के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाए और संप्रग सरकार द्वारा की गई खाद्यान्न की घोर बदइंतजामी के विरूद्ध जनमत जागृत किया जाए। ■

सजगता, सक्रियता, संपर्क, स्वाध्याय, सहयोग एवं संवाद जनप्रतिनिधि के जरूरी गुण

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार ने कहा कि सत्ता कोई पद नहीं है, यह जनता द्वारा सौंपे गए विश्वास के साथ एक जिम्मेवारी है, जिसे हमें समाज के विकास और अंतिम व्यक्ति की खुशहाली का साधन बनाना है।

गत 25 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के दो दिवसीय अभ्यास वर्ग का उद्घाटन करते हुए श्री अनंत कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़े हैं। सुशासन और अन्त्योदय को मूर्त रूप देना हमारा मिशन है। स्वर्णिम मध्यप्रदेश के सपने को धरातल पर उतारने के लिए विधायक संगठन के साधन और उपकरण है। उन्हें पूरी जिम्मेवारी के साथ इस कार्य में जुड़ना है।

उक्त अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्म मानवदर्शन को सार्थक बनाने की मार्मिक अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए हम राजनीति में है। दरिद्रनारायण की सेवा राष्ट्र को वैभव के परम शिखर पर पहुंचाना हमारा परम लक्ष्य है। एकात्म मानव दर्शन से हमें प्रेरणा लेना है और समाज के अंतिम व्यक्ति की चौमुंखी प्रगति के काम में जुटना है। हर विधायक अंत्योदय की दिशा में दीप स्तंभ बनेगा।

पूर्व में सर्वश्री अनंत कुमार, शिवराज सिंह चौहान, रामभाऊ नाईक, प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, भगवत शरण माथुर, नंदकुमार सिंह चौहान ने दीप प्रजवलित किया और भारत माता, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं.दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री राम नाइक ने विधायक अभ्यास वर्ग को देश में आरंभ किए गए सांसद और विधायकों के प्रशिक्षण की एक कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के देश में 116 लोकसभा सांसद, राज्यसभा में 50 सांसद और देश की विधानसभा में 975 विधायक हैं। ये संगठन की पूंजी हैं। इनकी गुणवत्ता और क्षमता को निखारने के लिए अभ्यास वर्ग जैसे उपक्रम आवश्यक है। उन्होंने विधायकों से गतिशील रहने, वाणी में मिठास, दिमाग में ठंडापन, जनता और कार्यकर्ताओं से सतत, संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता रेखांकित की।

श्री अनंत कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के 144 सदस्य संगठन की विचारधारा के ध्वजवाहक है। उन्हें अपने कार्य में सफलता के लिए पांच सूत्रों को अपनाना चाहिए। सक्रियता के साथ उन्हें हमेशा संपर्क बनाए रखकर गतिशील रहने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते स्वाध्याय आवश्यक है। अपने कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें सतत संवाद रखना आवश्यक है। जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि वह समस्या बनने की बजाए हमेशा समाधान बने और सहयोग करें।

एकात्म मानवदर्शन को परिभाषित करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विश्व में प्रचलित तमाम वाद विवादास्पद हो चुके थे, तभी पं.दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद दर्शन देकर हमें सचेत किया था कि प्रकृति का भौतिक दृष्टि से दोहन अनियंत्रित विनाशकारी होगा। ग्लोबलवार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, मौसम में दुखद बदलाव, जैसी विकृतियां सामने हैं। इन दुष्परिणामों का समाधान एकात्ममानव दर्शन से संभव है। उपभोग संस्कृति से बचकर सहिष्णु बनना है। पं.दीनदयाल उपाध्याय ने समष्टि और सृष्टि के विकास की जो दिशा दी है, उस पर चलकर हम अभावग्रस्त लोगों के आंसू पोंछ सकते हैं तथा प्रकृति को फलदायी बना सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के बाद देश में पश्चिम मॉडल अपनाया गया और उसके दुष्परिणाम सामने हैं। एकात्म मानव दर्शन ही सारी विकृतियों का समाधान कर सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में अंत्योदय के कार्य हाथ में लें और जनता को राहत पहुंचाएं।

पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री अनंत कुमार और श्री राम नाईक का स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री आलोक शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मंत्री श्री रामेश्वर शर्मा ने किया।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विक्रम वर्मा ने कहा कि भारत में भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ राजनीति में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ। आजादी के बाद पं. जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार में औपनिवासिक मानसिकता से काम आरंभ किया था, जो डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को रास नहीं आया और उन्होंने देश की राजनीति

को भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ नई दिशा दी। जम्मू–कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बना रहना राजनीति में इसी राष्ट्रवाद की देन है। विक्रम वर्मा ने कहा कि भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के विकास तक इस राष्ट्रवाद की धारा प्रबल हुई है।

उन्होंने कहा कि हमें समाज को व्यक्ति को, पार्टी के विचार दर्शन से जोड़ना है। हमने स्वयं अपने लिए राजनैतिक मूल्य और मापदंड निर्धारित किए है। जनता हमें उन्हीं के मुताबिक उत्कृष्टता के स्तर पर देखना चाहती है। जनता के लिये कांग्रेस में सब कुछ चलता है, मान्य है। किंतु भाजपा की ओर जनता की पैनी निगाहें रहती हैं। उक्त अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री नंदकुमार सिंह चौहान और प्रदेश सह संगठन महामंत्री भगवतशरण माथुर उपस्थित थे। प्रदेश मंत्री रामेश्वर शर्मा और जिलाध्यक्ष आलोक शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया।

राजनीति को समाज में बेहतर बदलाव और राष्ट्र के सशक्तिकरण का साधन बनावें : नितिन गडकरी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम अंत्यत सौभाग्यशाली है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी दल के आंचल में कार्य करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। राजनीति को समाज के बेहतर बदलाव और राष्ट्र के सशक्तिकरण का साधन बनाना हमारा मिशन है। इस कार्य में पार्टी के सांसद, विधायक, निर्वाचित प्रतिनिधि पूर्ण मनोयोग के साथ जुट जावें। अपने–अपने संसदीय क्षेत्र, जिले, विधासनभा क्षेत्र और अंचल में जनसेवा का प्रकल्प लें और समाज से दुख, दैन्य, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसे अभिशापों को दूर करने के लिये संघर्ष करें। नितिन गडकरी यहां पार्टी के विधायकों के दो दिवसीय अभ्यास वर्ग का समापन कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, राष्ट्रीय महासचिव श्री थावरचंद गेहलोत और श्री नरेन्द्र सिंह तोमर का स्वागत करते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा के अनुसार प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की चरणवार व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जा चुका है। नगरीय निकायों, पंचायती राज निकायों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया जा चुका है और विधायकों के अभ्यास वर्ग का भी दो दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।

श्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो राष्ट्रवादी चिंतन को लेकर राजनीति के क्षेत्र में अवतरित हुआ है। कांग्रेस सहित अन्य दलों के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का साधन है जबकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए सामाजिक बदलाव का साधन मात्र है। सत्ता हमारी मंजिल नहीं है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में हमें आत्मविश्वासी तो बनना है लेकिन अहंकार से दूर रहना चाहिए। जनता हमें प्रतिनिधि चुनती है और हमारी प्रतिष्ठा बढ जाती है। वास्तव में यह प्रतिष्ठा कार्यकर्ताओं की शक्ति और पार्टी संगठन की देन है यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने से दूसरों को जोड़ने का प्रयत्न करें, कमजोरियों को चिन्हित करें जितने अधिक व्यक्तियों से हमारे रिश्ते बढ़ेंगे हमारी राजनैतिक ताकत उतनी ही मजबूत होगी। लोकतंत्र में बुनियादी शक्ति जनता और कार्यकर्ता में निहित है।

जनप्रतिनिधि संगठन का चेहरा है : रामलाल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल ने मध्यप्रदेश के पार्टी विधायकों से आग्रह किया कि वे जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील हो और उनके समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील हो। जनप्रतिनिधि पार्टी संगठन का चेहरा होता है। जनप्रतिनिधियों के आचरण से पार्टी की छवि बनती है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि जब पार्टी ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है तो उन्हें इसके एवज में पार्टी और जनता के बीच में विश्वास का सेतु बनना होगा। रामलाल अभ्यास वर्ग को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के निकट जो लोग रहते है उससे जनप्रतिनिधि की साख बनती और बिगड़ती है इसलिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। देश में राजनैतिक क्षेत्र तेजी से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि सत्तासीन (केन्द्र) लोग अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भूला चूके है। भगवा हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। अनेकों पंथों में भगवा को अपनाया है, लेकिन खेद की बात है कि संसद में कांग्रेस के मंत्री आतंकवाद को भगवा से जोड़कर अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने सद्व्यवहार और कार्यक्रमों से पार्टी की विचारधारा का प्रगटीकरण करें और जन–जन तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएं।

राष्ट्रीय सरोकार को पूरा करना हमारा मिशन है : सुमित्रा महाजन

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और सांसद सुमित्रा महाजन ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र

ऐसा दल है जो साहस के साथ राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति संवेदनशील है। उसके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। जम्मू कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन है, लेकिन भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह अपने प्राणों की बाजी लगायी, उनके बलिदान का ही नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस आज भी देश की अखण्डता के प्रति गंभीर नहीं है और बार–बार जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने सशस्त्र बल, विशेषाधिकार कानून हटाने जैसे वायदे परोसकर अलगाववादियों के सामने घुटने टेक रही है।

राजनेता सच्चाई का सामना करने के लिए तत्पर हों - विनय सहस्त्रबुद्धे

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि आधुनिक प्रबंधन, विज्ञान और राजनीति का गहरा संबंध है। इससे राजनेता, जनप्रतिनिधि अपनी छवि विकसित कर सकते है। उन्हें समयपालन के प्रति गंभीर रहने की आवश्यकता है।

उन्होंने मंच प्रबंधन की जानकारी रखने और क्वालिटी प्रेजेन्टेशन के प्रति गंभीर बनने की सलाह दी और कहा कि हमें जनता के साथ अपने सरोकार कभी नहीं भूलना चाहिए। लोकशिक्षण और लोकमत परिष्कार के लिये हमेशा कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्प्रेषण की कला में माहिर बनना आज की आवश्यकता है इससे हमारे मीडिया के साथ संबंध बने रहेंगे। मीडिया की शक्ति को भूलया नहीं जा सकता है।

सरकार के सफल और सुचारु संचालन में निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी भूमिका परिभाषित करें - नरेन्द्रसिंह तोमर

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद श्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा कि सरकार का सफल और सुचारू संचालन करना सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्रियों की ही जिम्मेवारी नहीं है इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपनी भागीदारी परिभाषित करनी होगी। कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिये वातावरण बनाना होगा। हितग्राहियों तक कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाना होगी और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ दबे कुचले लोगों को सुनिश्चित हो। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की विशेष जिम्मेदारी है। ■

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है - नितिन गडकरी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने शहीद भवन में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा आयोजित किए गये कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि अल्पसंख्यकों की हिफाजत भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अल्पसंख्यकों को बराबर का दर्जा न्याय, रोजगार के अवसर, सामाजिक, आर्थिक, तरक्की के मौके सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। जहां–जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां इस बात की प्रतिबद्धता दिखाई जा चुकी है। अल्पसंख्यक समुदाय को कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कांग्रेस की मान्यता रही है कि पिछड़ापन उन्हें वोट बैंक बनाने की गारंटी देता है। अल्पसंख्यक समुदाय में आयी जागरूकता के कारण अब कांग्रेस के झांसों में अल्पसंख्यक आने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ प्रापर्टीज पर कांग्रेसियों ने बेजा कब्जे कर रखे है। यदि इन कब्जों को हटाया जाता है तो हजारों करोड़ रूपये इनसे प्राप्त होंगे और लाखों मुसलमान भाईयों के किशोरों और युवकों के लिए तालीम, इल्म की व्यवस्था की जा सकेगी।

श्री नितिन गडकरी का स्वागत मुसलिम समाज की ओर से काजी और मौलानाओं ने किया। मुसलिम समाज के छात्रों ने पुष्प वर्षा कर नितिन गडकरी का खैरमकदम किया। पूर्व में वंदे मातरम का मुसलिम छात्राओं ने गायन किया और जलसे की कार्यवाही शुरू हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का भी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्ला शेख ने स्वागत किया।

उक्त अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि मध्यप्रदेश में राज्य सरकार की योजनाओं से सभी वर्गों को सकून मिला है। कन्यादान योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना जैसी सभी योजनाओं में अल्पसंख्यक परिवार भी लाभान्वित हुए है। मध्यप्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगरीय निकायों के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अल्पसंख्यकों ने अच्छी भागीदारी की है। जिसका परिणाम विजय के रूप में पार्टी को मिला है। नगरीय निकायों में 80 से अधिक पार्षद अल्पसंख्यक समुदाय के चुने गये है। इसी तरह पंचायतीराज संस्थाओं में भी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने शिरकत की है और महिलाएं, पुरूष निर्वाचित हुए हैं। ■

दक्षिण में भाजपा सरकार की स्थापना एक मील का पत्थर : लालकृष्ण आडवाणी

e सूर में भाजपा के जनजागृति समावेश का उद्‌घाटन करने के बाद भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने राज्य में भाजपा सरकार के कार्य–प्रदर्शन की सराहना की। श्री आडवाणी ने मुख्यमंत्री द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए उठाए कदमों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि श्री येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री और केन्द्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर आग्रह किया कि घरेलू उद्योगों के उपयोग के लिए लौह–अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने केन्द्र में 1998 में सत्ता प्राप्त कर तथा 2008 में कर्नाटक में स्वयं अपनी सरकार बना कर मील का पत्थर खड़ा कर दिया है। श्री आडवाणी ने कर्नाटक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री ईश्वरप्पा, मुख्यमंत्री श्री येदियुरप्पा तथा उनके मंत्रिमण्डल को सफलता का श्रेय देते हुए लोगों से अपील की कि वे आगामी तालुक और जिला पंचायत चुनावों में पार्टी का साथ दें।

श्री येदियुरप्पा ने अपने भाषण में घोषणा की कि भले ही मेरा जीवन चला जाए परन्तु मैं राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए हर महीने में 15 दिन जिला केन्द्रों का दौरा करूंगा और कहा कि भाग्य लक्ष्मी योजना के सभी नौ लाख लाभार्थियों को 'आर्शिन–कुमकुमा'' और साड़ियां दी जाएगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष के बजट में पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाएगा।

जेडी(एस) के प्रमुख एच.डी. देवगौड़ा द्वारा वृद्ध गायों पर आडम्बर के एक प्रश्न के उत्तर में श्री ईश्वरप्पा ने कहा: ''देवगौड़ा और राज्यपाल श्री भारद्वाज दोनों ही वृद्ध हो चुके है और बताया जाए कि उन्हें कहां भेजा जाए?''

विधान सभा में विपक्ष के नेता श्री सिद्दारामैया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए श्री ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में वित्त मंत्री रहते हुए अपने गृह जिला के लिए कुछ भी नहीं किया।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्रीरामुलु ने कांग्रेस नेताओं से आग्रह किया कि यदि वे सचमुच अवैध खनन पर चिंतित है तो वे मैसूर से नई दिल्ली तक पदयात्रा करने के लिए साथ चलें।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार ने कांग्रेस को ''पार्टी आफ डुप्लीकेट'' कहते हुए उन्हें 'सैकेण्ड हैण्ड नेताओं' की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि ठीक केपीसीसी प्रेजीडेण्ट श्री आर वी देशपाण्डे से लेकर सभी अन्य नेता श्री सिद्दारामैया, श्री बीएल शंकर और श्री सीएम इब्राहीम कांग्रेस में आने से पहले जनता परिवार से जुड़े थे।

राज्य के विभिन्न स्थानों से आए एक लाख से अधिक लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जो तीन घण्टे चलता रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्य सभा सदस्य श्री वेंकैया नायडु, सांसद श्री डीबी चन्द्रगौडा और श्री पी.सी मोहन, मंत्रीगण श्री अशोक, श्री सुरेश कुमार, श्री जनार्दन रेड्डी, श्री करूणाकर रेड्डी, श्री मुमताज अली खान इस अवसर पर उपस्थित थे। ■

elj ¼dukVd½ e Hkktik }kjk vk;kftr tutkxfr lekos'k d nkjku Hkktik lilnh; ny d v/;{k Jh yky Ñ".k vkMok.kh] iwo jk"Vh; v/;{k Jh odd;k uk;Mq] jk"Vh; egklfpo Jh vuar dqekj] dukVd d eq[;ea=h Jh ch-,l- ;fn;qjlik o ikVh d ofj"B urkx.kA

रोजगारपरक शिक्षा जन-जन तक पहुंचे : गडकरी

Hkkजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने इस बात पर विशेष बल दिया ''सभी को शिक्षा'' मिले। शिक्षा सचमुच एक ऐसा तत्व है कि जो भारत का विकास कर सकता है। हमारे वर्तमान नीति निर्माताओं ने देश में शिक्षा नीति निर्धारित करते हुए उसकी वास्तविक प्रकृति की पहचान नहीं की है।

उन्होंने इस तथ्य को सामने रखा कि हालांकि अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थाएं खुल गई हैं, परन्तु अभी भी देश के करोड़ों लोगों को सार्थक शिक्षा तक पहुंचना शेष है। आज देश में कहीं अधिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूटों की संख्या कम है, जबकि भारत को आजीविका अर्जित करने का साधन होना चाहिए जिससे शिक्षा सार्थक बन कर उसमें सुधार हो सके। श्री गडकरी भाजपा–शासित शिक्षा मंत्रियों की बैठक ''शिक्षामंत्री–शिक्षाविद् संविमर्श'' में बोल रहे थे जिसका आयोजन भाजपा के 'सुशासन प्रकोष्ठ' ने 1 सितम्बर को किया। बैठक का मुख्य एजेण्डा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 100 प्रतिशत साक्षरता कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने पर विचार करना था। इन नीतियों के सार्थक नीति और समुचित कार्यान्वयन की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। शिक्षा में प्राइवेट–पब्लिक सेक्टर की भागीदारी से शिक्षा में सुधार हो सकता है। किन्तु आवश्यकता यह भी है कि समुचित कानून बनाए जाएं जिससे शिक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए एक और व्यापार का रूप धारण न कर ले। उन्होंने सभा में एकत्र मंत्रियों से योजना का प्रारूप तैयार करने को कहा जिससे उनके अपने अपने राज्यों में शिक्षा में सुधार हो। क्योंकि केन्द्र सरकार अनेक कार्यक्रमों– जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए धन प्रदान करती है, इसलिए राज्य सरकारों, को इस धन का– दीर्घावधि योजना, मध्यावधि योजना और तात्कालिक योजना के लिए सर्वोत्कृष्ट रूप में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अपने–अपने राज्यों में इन कार्यक्रमों का उत्कृष्ट कार्यान्वयन हो सके। इस प्रकार की बैठकों का आयोजन निरन्तर चलती रहेगी और योजना है कि बैठक में प्रस्तावों के कार्यान्वयन स्थिति पर चर्चा करने के लिए हर तीन महीने बाद उन बैठकों का आयोजन किया जाए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) पर भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती आरती मेहता और श्रीमती सुमित्रा महाजन ने उपस्थितिजनों को एनएलएम की बातें सूक्ष्मता से समझाईं।

भाजपा सुशासन प्रकोष्ठ को संयोजक श्री मनोहर परिकर ने उद्घाटन भाषण दिया। बैठक में श्री जे.पी. नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव, प्रो. बाळ आपटे और भाजपा शासित सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे। ■

भाजपा आईटी प्रकोष्ठ बैठक

सूचना प्रौद्योगिकी आम प्रयोक्ताओं को पहुंचाए लाभ : नड्डा

गत 28 अगस्त को भाजपा आई टी प्रकोष्ठ का छठा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली भाजपा मुख्यालय में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री विनय सहस्त्रबुद्धे ने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग नागरिकों के लिए करने पर बल दिया, जिससे उनके हित साधे जा सकें। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सुशासन प्रकोष्ठ और आई.टी प्रकोष्ठ भविष्य में और बेहतर समन्वय करते हुए इसे अधिक प्रभावी बनाएं। अपने भाषण में राष्ट्रीय महासचिव श्री जे.पी. नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार के ई–समाधान पहल का उल्लेख किया जिसमें नागरिकों की समस्या को डाला जाता है, जिस पर मुख्यमंत्री स्तर तक उन समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आई.टी को और अधिक प्रयोक्ताओं के अनुकूल बनाया जाना चाहिए और कहा कि ई–कार्यकर्ता का विस्तार करते हुए इसे सामान्य कार्यकर्ताओं तथा वरिष्ठ नेताओं को समान स्तर पर लाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू ने भी बैठक को सम्बोधित किया। आई.टी. प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविन्द गुप्ता ने सम्मेलन में भाग लेने वाले 15 राज्यों से आये हुए सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। ■

भाजपा प्रकोष्ठों के नए संयोजकों की घोषणा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 06 सितम्बर, 2010 को विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजकों एवं सह–संयोजकों की नियुक्ति की घोषणा की। यह सूची निम्नलिखित है:–

चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रकोष्ठ

संयोजक	श्री राजेश शर्मा (दिल्ली)
सह संयोजक	श्री अखिलेश जैन (म.प्र.)
सह संयोजक	श्री दीनदयाल अग्रवाल (दिल्ली)
सह संयोजक	श्री संजय कपूर (पंजाब)
सह संयोजक	श्री जी.वी. कृष्णा (कर्नाटक)

विदेश मामले प्रकोष्ठ

संयोजक	श्री एस.के. अरोड़ा
सह संयोजक	श्री सुकुमार नाम्बियार

विधि प्रकोष्ठ

संयोजक	श्री राघवेन्द्र सिंह (लखनऊ)
सह संयोजक	श्री बाला सुब्रमण्यम (दिल्ली)
सह संयोजक	श्री एम.बी. जीगली (दिल्ली)
सह संयोजक	श्री अजय दिग्पाल (दिल्ली)

साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ

संयोजक	श्री अम्बा चरण (दिल्ली)

बुनकर एवं कारीगर प्रकोष्ठ

संयोजक	श्री बसंत कुमार (बिहार)

संवाद

संयोजक	श्री अनुपम त्रिवेदी

दूरसंचार उपभोक्ता प्रकोष्ठ

संयोजक	श्री संजय भल्ला

शिक्षा प्रकोष्ठ

संयोजक	श्री दिवाकर कुंडु
सह संयोजक	श्री जगदीश मित्तल

गौ- विकास प्रकोष्ठ

सह संयोजक	श्री जयभगवान अग्रवाल
सह संयोजक	श्री जय प्रकाश गर्ग

कार्यालय प्रबंधन प्रमुख

श्री विकाश प्रीतम

प्रकोष्ठों के नए प्रभारी

वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ

प्रभारी श्री मदन लाल खुराना, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली

चिकित्सा प्रकोष्ठ

प्रभारी डॉ. संजय जायसवाल, सांसद

दीनदयाल उपाध्याय समग्र

प्रभारी डॉ. महेशचन्द्र शर्मा, पूर्व सांसद

मछुआरा, बुनकर, कारीगर एवं व्यापारी प्रकोष्ठ

प्रभारी श्री मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सचिव, भाजपा

अम्बाचरण वशिष्ठ बने साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने श्री अम्बाचरण वशिष्ठ को भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। गौरतलब है कि श्री वशिष्ठ को यह दायित्व लगातार दूसरी बार सौंपा गया है। इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद् सदस्य का दायित्व भी निभा चुके हैं।

जन्माष्टमी पूजा सम्पन्न

डा. मुकर्जी स्मृति न्यास परिसर में गत 1 सितम्बर 2010 को कृष्ण जन्माष्टमी पूजा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल विशेष रूप से उपस्थित थे।